



KANPUR ELECTRICITY SUPPLY COMPANY LTD.

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

OFFICE OF SUPERINTENDENT ENGINEER (Comm.)

T: 0512-2530832 | F: 0512-2530587 | M: +91-9839104007 | Email: secommkesco01@gmail.com

Ref: KESCO/SE(Comm.)/ARR-FY23/Datagap-4/FY22-23/030

Date: 03.06.2022

To,
The Secretary,
Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission
Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow- 226010

Sub: Reply on 4th Information Requirement / Discrepancies/ Data Gaps in the Petition No. 1836 – 2022 dated 15th May, 2022 of True-Up (FY 2020-21), Annual Performance Review (FY 2021-22), Aggregate Revenue Requirement (FY 2022-23).

Ref: 1. UPERC email received on Datagap-4 dated 16.05.2022.

2. UPERC letter no. 281 dated 31.05.2022.

Dear Sir,

This is with reference to your above-mentioned email and letter received for 4th Information Requirement/ Discrepancies/ Data Gaps in the Petition No. 1836 - 2022 dated 15th May, 2022 for UPPCL Discoms on True-Up (FY 2020-21), Annual Performance Review (FY 2021-22), Aggregate Revenue Requirement (FY 2022-23). The Licensee hereby submits the point-wise replies to the queries/information required by the Hon'ble Commission on 4th data gaps along with all the Annexures, wherever required, is attached herewith for kind consideration of the Hon'ble Commission.

Yours Sincerely,

P.K. Singh
KESCO-Nodal Officer
SE(Comm.)

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)

Encl(s): Annexure- A to E

CC: 1. Managing Director, KESCO.
2. Director (Comm.), KESCO.
3. CE, RAU, UPPCL.

Annexure List

Discom: KESCO

Sr. No.	Particulars
1	Annexure A - PTC unverified details
2	Annexure-B_Internal Consumption 2020-21
3	Annexure C - 271 Cr details
4	Annexure D -KESCO Grants-Annexure 1&2_Final
5.1.	Annexure E - Subsidy GO_FY2019-20
5.2	Annexure E - Subsidy - Covering
5.3	Annexure- E - Subsidy Evidence
5.4a	Annexure E Budget Subsidy FY2022-23_Agriculture
5.4b	Annexure E Budget_FY2022-23_Energy


अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

**Reply to 4th Information Requirement / Discrepancies/ Data Gaps in the
Petition No. 1836 - 2022 dated 15th May, 2022**

of

**True-Up (FY 2020-21), Annual Performance Review (FY 2021-22),
Aggregate Revenue Requirement (FY 2022-23)**

of

KESCO.

The response to the deficiencies are as below:

1. The Petitioners in the Petition have claimed the distribution losses for above 132 kV and 11kV as 0.28% and 17.32% respectively for the calculation of Cross-Subsidy Surcharge (CSS) for FY 2022-23, which is higher than the distribution loss of 0.00% and 7.75% for above 132 kV and 11 kV lines respectively, approved by the Commission in the previous Tariff Order for FY 2021-22. The Petitioners to submit the justification and basis for the claim of higher distribution losses. Further, the Petitioners to also provide details of distribution losses at 33 kV, above 33 kV (66 kV & 132 kV), justification and basis for the claim of higher distribution losses.

Response:

It is humbly submitted that the Distribution Loss of 17.32% for FY 2022-23 is the weighted average distribution loss at 11 kV & below Voltage Level. Further, 132kV loss as recorded for FY 2020-21 was 0.28% and the same was considered for the projection for FY 2022-23. The Distribution losses for 33kV and above as estimated for FY 2022-23 is as under: -

Discom	Sales at 220 kV	Loss (at 220 kV)	Sales at 132 kV	Loss (at 132 kV)	Sales at 33 kV	Loss at 33kV	Sales at 11 kV & LT	Loss (at 11 kV & LT)
DVVNL	359.79	0.00%	78.90	0.11%	1440.34	0.56%	18587.12	21.57%
MVVNL	9.87	0.00%	87.10	0.00%	585.69	0.33%	20104.71	16.28%
PVVNL	152.59	0.08%	478.99	0.51%	3255.77	0.38%	26709.08	15.95%
PuVVNL	0.00	0.00%	103.00	0.00%	1093.25	0.58%	23309.36	16.72%
KESCO	0.00	0.00%	156.00	0.00%	154.64	0.92%	488.93	1.91%
	Average Loss	0.02%	Average Loss	0.13%	Average Loss	0.55%	Average Loss	14.49%
	Wt. Average Loss	0.02%	Wt. Average Loss	0.28%	Wt. Average Loss	0.46%	Wt. Average Loss	17.32%

Accordingly, the computation of CSS is as under: -


अधीक्षण अभियन्ता (वाO)
केस्को, कानपुर

Cross Subsidy Surcharge For FY 2022-23

S. No.	Categories	Revenue (Rs. Crore)	Sales (MU)	Average Billing Rate (Rs./kWh) (D*)	Wt. Avg. Pay. Cost (Cp) (Rs./kWh)	Aggregate of Trans., Dist. & Wh. Charges applicable to the relevant voltage level (Rs./kWh)					System Loss (% to the relevant voltage level)			Carrying Cost of Regulatory Assets (Rs./kWh) (R)	S=[1-(C/R)-L/(100)+D+R]	S*** (Rs./kWh)	
						Transmission Charge			Distribution Charge	Wheeling Charge	Aggregate of Trans., Dist. & Wh. Charges applicable to the relevant voltage level (D)	System Loss (% to the relevant voltage level)					
						Inter-Subs. Trans. Charges	Intra-State Trans. Charges					PGCIL	UPPCL				Dist. Loss
1	HV-1 (Supply at 11 kV)	3077.55	3131.95	9.83	4.59	0.412	0.242	0.435	1.033	2.12	1.27%	3.27%	17.32%	0.00	1.89	1.89	
2	HV-1 (Supply above 11 kV)	442.17	290.52	15.22	4.59	0.412	0.242	0.435	0.646	1.73	1.27%	3.27%	0.46%	0.00	8.66	3.04	
3	HV-2 (Supply upto 11 kV)	7667.83	7810.77	9.82	4.59	0.412	0.242	0.435	1.033	2.12	1.27%	3.27%	17.32%	0.00	1.88	1.88	
4	HV-2 (Supply above 11 kV & upto 66 kV)	1823.30	2386.88	7.64	4.59	0.412	0.242	0.435	0.646	1.73	1.27%	3.27%	0.46%	0.00	1.08	1.08	
5	HV-2 (Supply above 66 kV & above 132 kV)	276.05	348.83	7.91	4.59	0.412	0.242	0.435	0.646	1.73	1.27%	3.27%	0.28%	0.00	1.36	1.36	
6	HV-2 (above 132 kV)	161.24	228.84	7.05	4.59	0.412	0.242	0.435	0.646	1.73	1.27%	3.27%	0.28%	0.00	0.49	0.49	
7	HV-3 (Supply at & above 132 kV)	78.14	72.11	10.84	4.59	0.412	0.242	0.435	0.646	1.73	1.27%	3.27%	0.28%	0.00	4.28	2.17	
8	HV-3 (For Metro Traction)	106.60	119.16	8.95	4.59	0.412	0.242	0.435	0.646	1.73	1.27%	3.27%	0.28%	0.00	2.39	1.79	
9	HV-4 (Supply at 11 kV)	303.77	321.60	9.45	4.59	0.412	0.242	0.435	1.033	2.12	1.27%	3.27%	17.32%	0.00	1.51	1.51	
10	HV-4 (Supply above 11 kV upto 66kV)	329.14	355.39	9.26	4.59	0.412	0.242	0.435	0.646	1.73	1.27%	3.27%	0.46%	0.00	2.70	1.85	

* Including reflecting the Renewable Purchase Obligation.

** Including meeting the Renewable Purchase Obligation

***CSS shall not exceed 20% of the Tariff Applicable to the category of the consumer seeking Open Access.


अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

2. The Commission in the previous Tariff Order for FY 2021-22 dated 29.07.2021 had directed the Petitioners to submit details of the PTC expenses under the head "PTC Unverified" at the time of Truing up of FY 2020-21, clearly mentioning the revision of the same if applicable. It is observed that the Petitioners have not submitted any details of the same. Hence, the Petitioners are required to submit the details of the change in the same along with the requisite documentary evidence.

Response:

It is respectfully submitted that the detail of PTC expenses under the head "PTC Unverified" has provided the details, as desired by the Commission, has already been provided to the Hon'ble Commission vide Annexure-13 of Data Gap - 1 of respective Discoms. The same is again attached as 'Annexure- A' along with this document for the reference of Hon'ble Commission.

3. It is observed that the details of Revenue Booked under LMV-10: Departmental Employees are not provided separately in the Audited Accounts. Hence, the Petitioners are required to provide the details of number of consumers, connected load, sale and revenue billed from departmental employees for FY 2020-21 as per the Audited Accounts in the format provided below along with 10 sample bills and specify in which category the same is reflected in the Audited Accounts for FY 2020-21. It is also observed that there is a reduction of 15% & 16% in consumers and 18% & 20% in connected load for FY 2020-21 and FY 2022-23 respectively in LMV-10 (Departmental Employees). The Petitioners to submit the justification for such reduction as it does not seem to be correct.

Detail to be provided by each Licensee:

Particulars	FY 2018-19	FY 2019-20	FY 2020-21	FY 2021-22	FY 2022-23
LMV - 10: Number of Consumers					
LMV - 10: Connected Load					
LMV - 10: Sales					
LMV - 10: Revenue					

Response:

It is submitted that the details of number of consumers, connected load, sale and revenue billed from departmental employees for FY 2020-21 are not captured separately in the Audited Accounts. The revenue booked for LMV-10 employees is considered under Domestic consumers. Further, it is submitted that as per the UPPCL order, electricity charges are deducted

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

from the monthly salary of the employee and transferred to Division/Discom where employee has taken the electricity connection.

The details of LMV 10 of KESCO consumers are as under: -

Particulars	FY 2018-19	FY 2019-20	FY 2020-21	FY 2021-22	FY 2022-23
LMV - 10: Number of Consumers	5456	5131	5301	5147	5188
LMV - 10: Connected Load (kW)	17395	19903	20721	19967	20125
LMV - 10: Sales (MUs)	28.36	30.17	25.37	25.64	25.85
LMV - 10: Revenue (Cr.)	49.43	52.85	8.18	17.64	17.81

4. It is observed that the Petitioners have maintained a head "Internal Consumption" in their Audited Accounts where Revenue is booked. The Petitioners are required to submit the details in the format provided below along with 10 sample bills for FY 2020-21 and write-up explaining the same.

Particulars	Sales (MU)	Consumer category	Number of consumers	Connected load (kW)	Revenue (Rs. Cröre) as per Audited Accounts
DVVNL					219.53
MVVNL					173.20
PVVNL					366.96
PuVVNL					302.56
KESCO					38.52

Response:

It is submitted that as per the current practice, electricity used in departmental offices, sub-stations are booked under head 'Internal Consumption'. The assessment for this purpose is done on the basis of meters installed at offices & substation and in some cases where meters are not installed, assessment is done on the basis of connected load. Further electricity used under this head is charged as per rate schedule LMV-4A/ HV-1 according to connected load.

Details for billing determinants for internal consumption are as under: -

Particulars	Sales (MU)	Consumer category	Number of consumers	Connected load (kW)	Revenue (Rs. Cröre) as per Audited Accounts
KESCO	41.32	LMV-4A	176	6572	38.52

"Annexure-B" with reference to "Internal Consumption" is attached herewith for submission to Hon'ble Commission.

अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
के.एस. को. का.पु.र.

5. It is observed that the calculation of Interest on Loan (Loan Opening / Closing, Interest paid and Interest Rate) as submitted in Form F3I along with the Petition does not match with the Audited Accounts for FY 2020-21. The Petitioners to submit the reconciliation of the Interest Rate claimed and Interest Rate derived as per the Audited Accounts along with the basis for such claim.

Computation as per the Audited Accounts:

Particulars	Total Long-Term Loan		Average Loan	Total Interest Paid	Interest Rate Derived	Claim in the Petition
	Opening	Closing				
DVVNL	15329.00	19696.47	17512.74	1786.16	10.20%	9.33%
MVVNL	11347.81	15899.95	13623.88	1392.95	10.22%	10.95%
PVVNL	10268.75	11037.25	10653.00	1213.82	11.39%	9.82%
PuVVNL	13692.83	25177.98	19435.40	1830.35	9.42%	11.92%
KESCO	1808.38	2307.81	2058.10	205.96	10.01%	11.57%
Consolidated						10.69%

As per the submission in the Petition:

Particulars	Total Long-Term Loan		Average Loan	Total Interest Paid	Rate	Claim in the Petition
	Opening	Closing				
DVVNL	16790.39	21589.22	19189.81	1756.08	9.15%	9.33%
MVVNL	12512.41	16679.86	14596.13	1369.82	9.38%	10.95%
PVVNL	10708.87	11842.51	11275.69	1111.79	9.86%	9.82%
PuVVNL	13779.68	27372.13	21233.03	1798.61	8.47%	11.92%
KESCO	1818.85	2683.41	2251.13	210.48	9.35%	11.57%
Consolidated						10.69%

Response:

It is humbly submitted by the Petitioner that the interest is paid on accrued basis and not on the payment basis as per generally accepted accounting principal. Interest paid during the year is further reduced interest paid for previous year and added with interest due for the current year payable in next year.

6. It is observed that the increase in consumers and connected load is as below for the following categories for FY 2020-21 and FY 2022-23:

For FY 2020-21:
DVVNL


अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्कॉ, काजपुर

Category	% increase in Consumers wrt FY 2019-20	% increase in Connected Load wrt FY 2019-20	Reason for variation
HV-1	7.90	20.49	
HV-4	-24.07	-11.44	

MVVNL

Category	% increase in Consumers wrt FY 2019-20	% increase in Connected Load wrt FY 2019-20	Reason for variation
LMV-1	3.00	-5.32	
LMV-7	1.06	-17.00	
HV-4	230	296.90	

PVVNL

Category	% increase in Consumers wrt FY 2019-20	% increase in Connected Load wrt FY 2019-20	Reason for variation
LMV-1	-0.26	2.63	
LMV-7	14.91	9.10	
HV-1	-1.27	-21.93	
HV-4	0	-9.97	

PuVVNL

Category	% increase in Consumers wrt FY 2019-20	% increase in Connected Load wrt FY 2019-20	Reason for variation
LMV-1	4.39	-8.35	
LMV-7	2.21	-3.08	
HV-1	6.05	-0.02	
HV-4	78.13	-7.26	

KESCO

Category	% increase in Consumers wrt FY 2019-20	% increase in Connected Load wrt FY 2019-20	Reason for variation
LMV-7	5.15	19.92	
HV-1	2.17	-10.51	

For FY 2022-23:

DVVNL

Category	% increase in Consumers wrt FY 2021-22	% increase in Connected Load wrt FY 2021-22	Reason for variation
HV-1	6.83	19.42	
HV-4	-22.42	-9.19	

MVVNL


अधीक्षण अनियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

Category	% increase in Consumers wrt FY 2021-22	% increase in Connected Load wrt FY 2021-22	Reason for variation
HV-1	16.02	22.38	
HV-4	219.45	296.95	

PVVNL

Category	% increase in Consumers wrt FY 2021-22	% increase in Connected Load wrt FY 2021-22	Reason for variation
HV-1	-1.25	-22.03	
HV-4	2.00	-9.90	

PuVVNL

Category	% increase in Consumers wrt FY 2021-22	% increase in Connected Load wrt FY 2021-22	Reason for variation
HV-1	10.20	3.85	
HV-4	76.21	-7.26	

KESCO

Category	% increase in Consumers wrt FY 2021-22	% increase in Connected Load wrt FY 2021-22	Reason for variation
HV-1	2.22	-10.51	

The Petitioners to submit the justification for each variation listed above for FY 2020-21 and FY 2022-23.

Response:

The reason for variations in the specified categories from FY 2020-21 and FY 2022-23 is humbly submitted as under: -

For FY 2020-21:

KESCO

Category	2019-20	2020-21	% increase in Consumers wrt FY 2019-20	2019-20	2020-21	% increase in Connected Load wrt FY 2019-20	Reason for variation
LMV-7	1127	1185	5%	42730	51242	20%	Load rectification drive with Jal Sansthan and Jal Nigam


 अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
 केस्कॉ, कानपुर

Category	2019-20	2020-21	% increase in Consumers wrt FY 2019-20	2019-20	2020-21	% increase in Connected Load wrt FY 2019-20	Reason for variation
HV-1	276	282	2%	84231	75380	-11%	New Connections added for which the load will be added during the subsequent years, as the development of the heavy load industries comes up in phased manner. There seems no variation in corresponding load which is indicative that some industries have reduced their load due to pandemic situations.

For FY 2022-23:

In this regards it is humbly submitted that Discoms have submitted the revised billing determinants/ Revenue Model along with Data Gap 3 wherein these issues pertaining to abnormal rise/fall were addressed.

The submitted figures of variations for the highlighted categories are as under: -

KESCO

Category	% increase in Consumers wrt FY 2021-22	% increase in Connected Load wrt FY 2021-22
HV-1	3%	3%

7. It is observed that there is a reduction in the revenue of KESCO for FY 2020-21 as compared to FY 2019-20 by 3.92%. The Petitioners to submit the justification for the same.

Discom	MU	Revenue for FY 2019-20 (Rs. Crore)	ABR (Rs. /Unit)	MU	Revenue for FY 2020-21 (Rs. Crore)	ABR (Rs. /Unit)	% Increase (Sales)	% Increase (Revenue)
KESCO	3300.50	2619.39	7.94	3029	2516.64	8.31	-8.23	-3.92

Response:

It is submitted that due to the Covid 19 pandemic impact, the sales of LMV-2 (Non Domestic) tariff category and HV-1 (Non Industrial Bulk Load) tariff category reduced, due to which the overall sales and revenues were impacted.

8. The Petitioners have submitted an amount of Rs. 271.16 Crore towards "Rebate / Subsidy against Power Purchase" as per the Audited Accounts of UPPCL. The Petitioners to provide

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

the detailed break-up of this amount along with the justification, detailed computation and documentary evidence for claiming the same as per Table below:

Particulars	Capacity (MW)	MU	Amount (Rs. Crore)
DVVNI.			
MVVNL			
PVVNL			
PuVVNL			
KESCO			
Consolidated			271.16

Where do the above amounts reflect in the Balance Sheets of the Licensees? If the same are not reflecting in the Balance Sheets of the Licensees, they need to submit reasons as to why are they claiming the same?

Response:

It is submitted that the above "Rebate / Subsidy against Power Purchase" is captured under the head of power purchase cost mentioned in the balance sheet of UPPCL. Further, the reconciliation of balance sheet of UPPCL with Discom is already provided to the Hon'ble Commission in the reply to the previous data gaps wherein the cost of power purchase as captured under the UPPCL balance sheet is reconciled with cost of power purchase with individual Discoms. Therefore, the amount of Rs 271.16 Cr has already been reconciled with the Discoms balance sheets. The detailed breakup of Rs 271.16 Cr is as under: -

<i>Subsidy Receivable – NEDA (in Rs)</i>	1,87,54,41,760.00
<i>Subsidy Receivable – IREDA (in Rs)</i>	9,55,78,457.00
<i>Rebate / Other Credit (in Rs)</i>	74,05,54,182.00

Breakup of above amount is enclosed at **Annexure-C**

- The Petitioners have submitted the claim of Capital Grants for FY 2020-21 as Zero (0). However, it is observed that the addition in Grants during the year are negative values. During the TVS, it was confirmed that this was due to reversal of entry from the past years. The Commission has adopted a different methodology for approval of Grant, where the values as per the Audited Accounts is not considered. Hence, the Petitioners to provide the reconciliation of Grants as booked in the Audited Accounts for FY 2015-16 to FY 2021-22 and the Grants as per the methodology adopted by the Commission (may please refer to the True Up Order of FY 2019-20) to arrive at the right / correct figure of the Grant for FY 2020-21 as per Annexure 1.


अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

The Petitioners also to submit the details of Grants to be derived based on scheme wise Capex for FY 2020-21 to FY 2022-23 as per Annexure 2.

Response:

The scheme wise detail as desired is attached as per Annexure-D.

10. The Petitioners to submit in tabular form Discom-wise, various types of Subsidies and Grants (both State and Central) along with the related documents for example G.O.s, Budget and its subsequent revisions for FY 2019-20, FY 2020-21, FY 2021-22 and FY 2022-23.

Response:

G.O. for FY 2019-20, FY 2020-21, FY 2021-22 and budget provision for FY2022-23 is attached as Annexure-E.

11. It is observed that the Petitioners have claimed cumulative provision for Bad/ Doubtful debt which includes doubtful debt on sales, theft of fixed assets, etc., for FY 2020-21 as per the Audited Accounts. However, the Commission considers only doubtful debt on sales. Hence, the Petitioners should provide justification for claiming the total bad and doubtful debt instead of doubtful debt on sales and submit Board of Directors' approval for the same. The summary of the same is as below:

Particulars	Total Bad & Doubtful debts as per Audited Accounts for FY 2020-21	Bad & Doubtful debts on sales as per Audited Accounts for FY 2020-21	Revenue as per Audited Accounts for FY 2020-21	Ceiling limit for bad debts (upto 2% of Revenue Receivables)
DVVNL	64.02	63.80	10878.81	217.58
MVVNL	121.61	121.61	12668.47	253.37
PVVNL	75.14	-4.07	17274.00	345.48
PuVVNL	175.26	96.07	11690.86	233.82
KESCO	5.67	5.09	2516.64	50.33
Consolidated (5 Discoms)	441.70	282.51	55028.78	1100.58

Response:

It is respectfully submitted that the Petitioner has claimed Bad and Doubtful debts as per the number captured under P&L Accounts of the Balance Sheet for the Purpose of Truing up. It is

अधीक्षक अभियन्ता (वार)
केस्को, कागपुर

further submitted that the provisioning of Bad Debts as per the Balance sheet is less than the norm set by the Hon'ble Commission under Regulation 46.1 of MYT Regulations 2019. The Petitioner requests that the Hon'ble Commission may consider the Petitioners submission and allow the provisioning of Bad and Doubtful Debts as claimed by the Petitioner.


अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्कॉ, कानपुर



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

विद्युत अथवा निर्यात एवं मृगतान मण्डल
11वीं तल, शक्ति भवन विस्तार, 14 अशोक मार्ग

संयोजक-226001

CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्रांक 3401/वि०आ०नि०एवमु०म०/

दिनांक 23/04/2021

मुख्य अभियन्ता (आर०ए०यू०)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

15वीं तल, शक्ति भवन विस्तार,

लखनऊ।

12450/MOD/2021

22/04/2021

विषय: उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत टैरिफ आदेश वर्ष 2021-22 दिनांक 29.07.2021 में निर्गत डायरेक्टिव के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक 371/आर०ए०यू०/डायरेक्टिव दिनांक 14.09.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने कि कृपा करें। सञ्ज्ञानित करना है कि उक्त पत्र के माध्यम से इस इकाई से सम्बन्धित बिन्दु सं० 11.2.4 एवं 11.2.16 पर कृत कार्यवाही से शीघ्रानिशीघ्र अवगत कसने हेतु निर्देश प्राप्त हुये हैं। अतः उपरोक्त के अनुक्रम में उक्त बिन्दुओं पर निम्नवत् सूचनीय है-

11.2.4:-पावर पर्बेज में पी०टी०सी० Unverified के मद में रू० 116.21 करोड़ का विवरण निम्नवत् है।

Sr. no.	Generator	Period	Billed (Rs.)	Verified (Rs.)
1	TRN Change in Law	2019-20	1020419349	683801323
2	TEESTA-III	Apr-19 to Dec-19	141681341	141681341
Total			1162100690	825482664

11.2.16:- माननीय UPPRC (Merit Order Dispatch and Optimization of power purchase) Regulations, 2021 (Removal of Difficulty) first order, 2021 दिनांक 08.09.21 के अनुपालन में दिनांक 22.09.21 को Actual MOD इस कार्यालय पत्रांक BIE&PC/PS dt. 22.09.21 के द्वारा अधिसूची निदेशक पावर मेनेजमेन्ट सेल को प्रेषित कि जा चुकी है। अग्रेतर यह भी सञ्ज्ञानित करना है कि MOD stack, UPSLDC द्वारा तैयार कर प्रेषित की जाती है अतः MOD stack से सम्बन्धित अन्य कोई सूचना UPSLDC से प्राप्त करने की कृपा करें।

संलग्नक:- वृत्तीय।

Sir (UP)

Sir (com)

24/04/21

प्रबन्ध निदेशक
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०(आलोक महसोत्रा)
अधीक्षक अभियन्ता

पत्रांक / वि०आ०नि०एवमु०म०/

दिनांक

2021

CE (RAU)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० सप्तम तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, पी०एम०सी०, यू०पी०एस०एल०डी०सी० बिल्डिंग, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

SE-1/SE-2/EE-1/EE-2/EE-3

(आलोक महसोत्रा)
अधीक्षक अभियन्ता

AE-X

1000

24/04/21

फोन - 0522-2267835, 2267701 - फैक्स-8674

4604/DC/PS/2021
26/04/21

Filed in Directorate

20
filed in Directorateअधीक्षक अभियन्ता (वा०)
कैम्पे, कानपुर

KANPUR ELECTRICITY SUPPLY CO. LTD., KESCO

Assessment of Electricity Charges for the Substations & Offices for the Year 2020-21

Name of Divisions	No. of Substation & Offices	Connected Load (KW)	Units (KWh)	Electricity Charges (₹)	Fixed Charge (₹)	Electricity Duty (₹)	Total (₹)
Nawabganj	24	886	4611273	40348636	3190364	0	43539000
Phoolbagh	13	352	2612636	22862318	1268682	0	24131000
Zareebchauki	7	344	2583382	22604591	1238409	0	23843000
Electricity House	13	826	4130073	36138137	2971864	0	39110000
Alomandi	7	199	1372145	12006273	715727	0	12722000
Circle 1	64	2607	15309709	133959955	9385045	0	143346000
Gumti	8	244	1803164	15777682	877318	0	16855000
Dada Nagar	8	274	2067927	18084364	987636	0	19082000
Govind Nagar	6	194	1330800	11644500	698500	0	12343000
World Bank Barra	7	336	2064218	18061909	1211091	0	19273000
Parag Dairy	6	136	854073	7473136	490864	0	7964000
Kotwal Nagar	9	216	1390145	12163772	777227	0	12941000
Circle 2	44	1401	9510327	83215364	5042636	0	88258000
Jajmau	6	198	1432364	12533182	713818	0	13247000
Harishganj	7	268	2099564	18371182	984818	0	19336000
Naubasta	8	249	1722327	15070364	897636	0	15968000
Delhi Sujapur	9	270	1882145	16468773	973227	0	17442000
Hanspuram	5	166	1091673	9552136	598864	0	10151000
Circle 3	35	1152	8228073	71995637	4148364	0	76144001
Kalyanpur	10	291	2104800	18417000	1048000	0	19465000
Sarvodaya Nagar	7	216	1561091	13659546	776455	0	14436000
Vikas Nagar	9	731	3396218	29716909	2630091	0	32347000
Ratanpur	7	175	1208836	10577318	629682	0	11207000
Circle 4	33	1412	8270946	72370773	5084227	0	77455001
TOTAL	176	6572	41319055	361541730	23660273	0	385202000

(Rs. Thirty Eight Crores Fifty Two Lacs Two Thousand only)

Executive Engineer (Com)

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

Case No.	Case Name	Age	Sex	Height	Weight	Temp	Pulse	Respiration	Blood Pressure	Heart Rate	ECG	X-ray	Lab Tests	Diagnosis	Treatment	Outcome
1001	John Doe	45	M	175	70	37.2	72	18	120/80	75	Normal	Normal	Normal	Myocardial Infarction	Aspirin, Nitroglycerin	Recovered
1002	Jane Smith	32	F	160	55	36.8	68	16	110/70	65	Normal	Normal	Normal	Asthma	Inhalers	Recovered
1003	Robert Johnson	60	M	180	85	37.5	80	20	130/90	85	Abnormal	Abnormal	Abnormal	Hypertension	Antihypertensives	Recovered
1004	Emily White	28	F	155	50	37.0	70	17	120/80	70	Normal	Normal	Normal	Pneumonia	Antibiotics	Recovered
1005	Michael Brown	55	M	170	75	37.1	75	19	125/85	78	Abnormal	Abnormal	Abnormal	Diabetes	Insulin	Recovered
1006	Sarah Green	40	F	165	60	36.9	70	17	115/75	68	Normal	Normal	Normal	Cholesterol	Statins	Recovered
1007	David Black	38	M	170	70	37.3	75	18	120/80	75	Abnormal	Abnormal	Abnormal	Heart Failure	Diuretics	Recovered
1008	Lisa Grey	25	F	150	45	36.7	65	15	110/70	65	Normal	Normal	Normal	Anemia	Iron Supplements	Recovered
1009	James Blue	65	M	185	90	37.4	85	22	135/95	90	Abnormal	Abnormal	Abnormal	Stroke	Anticoagulants	Recovered
1010	Anna Yellow	30	F	160	55	36.8	70	17	115/75	68	Normal	Normal	Normal	Gout	Colchicine	Recovered

20/01/22

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

[illegible]

77/10/10

12

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्को, कामपुर

Schemes	FY 2015-16			FY 2016-17			FY 2017-18		
	Capital (Rs. Crore)	Normative Grant (Rs. Crore)	Grant Received as per Audited Accounts (Rs. Crore)	Grant Approved (Rs. Crore)	Capital (Rs. Crore)	Normative Grant (Rs. Crore)	Grant Received as per Audited Accounts (Rs. Crore)	Grant Approved (Rs. Crore)	Capital (Rs. Crore)
Other Schemes									
RIGVY 11th Plan		0%				0%			
DOUGY		90%				90%			
ADG		60%				60%			
RAPORP									
IPDS		25%				25%			
SAUBHAGYA YOUNA		60%				60%			
As per Audited Accounts			704.08				55.06		28.55
Less: UDAY Grants									
Total			-704.08				330.15		142.54
							-275.08		28.55

Note: UDAY grants are deducted from the scheme-wise capitalisation as per Audited Accounts.

[Signature]
अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

	FY 2018-19				FY 2019-20				FY 2020-21			
	Capex (Rs. Crores)	Normative Grant (%)	Interim Grant (Rs. Crores)	Grant Received as per Audited Accounts (Rs. Crores)	Grant Approval (Rs. Crores)	Capex (Rs. Crores)	Normative Grant (%)	Interim Grant (Rs. Crores)	Grant Received as per Audited Accounts (Rs. Crores)	Normative Grant (Rs. Crores)	Capex (Rs. Crores)	Grant Approval (Rs. Crores)
Other Schemes	61.67	0%	-	-	-	200.06	0%	-	-	-	56.16	-
REGV 11th Plan	-	90%	-	-	-	-	90%	-	-	90%	-	-
UDACITY	-	60%	-	-	-	-	60%	-	-	60%	-	-
ATB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAADep	-	25%	-	-	-	-	25%	-	-	25%	-	-
IPDS	237.57	60%	142.54	167.22	-	-	60%	-	0.19	60%	-	-
SALIBHAGYA YOUNA	-	60%	-	-	-	-	60%	-	-	60%	4.12	-
As per Audited Accounts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Less: UDAY Grants	259.24	-	-	258.56	-	-	-	-	258.56	-	-	-
Total			142.54	-91.94	-	208.06	-	-	-258.37	-	56.16	-
											1,555.47	-

Veri.
अधीक्षण अभियन्ता (वाठ)
केस्को, कानपुर

Category	FY 2021-22					Total			Normative Grant approved from FY 2015-16 to FY 2019-20 including Normative Grants for FY 2020-21 JPL
	Capex (Rs. Crores)	Normative Grant (%)	Normative Grant (Rs. Crores)	Grant Involved as per Audited Accounts (Rs. Crores)	Grant Claimed (Rs. Crores)	Capex (Rs. Crores)	Grant (%)	Grant (Rs. Crores)	
Other Schemes	52.31	0%	-	-	-	378.10	0%	-	0.00
BGGV 11th Plan	-	90%	-	-	-	-	90%	-	0.00
DDW/GW	-	60%	-	-	-	-	60%	-	0.00
ADH	-	0%	-	-	-	-	-	-	0.00
RAPDRP	-	25%	-	-	-	-	25%	-	0.00
IPDS	-	60%	-	17.192	-	237.57	60%	142.54	0.00
SAUBHAGYA YOJNA	-	60%	-	-	-	-	60%	-	0.00
All per Audited Accounts	-	-	-	-	-	-	-	-	142.54
Less: UDAY Grants	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Total	52.31	-	-	17.19	-	615.77	-	142.54	142.54


अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केरको, कानपुर

KESCO

FY 2020-21							
Name of Licensee	Claimed		Normative Grants / Deductions		Normative		
	Investments (Rs. Crore)	Capitalisation (Rs. Crore)	Investments (Rs. Crore)	Capitalisation (Rs. Crore)	% Allowed	Investments	Capitalisation
Other Schemes	56.16	43.57	-	-		56.16	43.57
RGVY 11th Plan			-	-		-	-
DDUGJY			-	-		-	-
ADB			-	-		-	-
RAPDRP			-	-		-	-
IPDS			-	-		-	-
SAUBHAGYA YOJNA			-	-		-	-
Revamp Scheme			-	-		-	-
Less: Employee Capitalisation			-	-		-	-
Less: Interest Capitalization			-	-		-	-
Total excluding Interest and employee capitalisation	56.16	43.57	-	-		56.16	43.57
Add: Employee Capitalisation	5.24	5.24	-	-	100%	5.24	5.24
Add: Interest Capitalization			-	-	100%	-	-
Total	61.40	48.81	-	-		61.40	48.81


अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

KESCO

FY 2021-22							
Name of Licensee	Claimed		Normative Grants / Deductions		Normative		
	Investments (Rs. Crore)	Capitalisation (Rs. Crore)	Investments (Rs. Crore)	Capitalisation (Rs. Crore)	% Allowed	Investments	Capitalisation
Scheme wise							
Other Schemes	52.31	119.41	-	-		52.31	119.41
RGVY 11th Plan			-	-		-	-
DDUGJY			-	-		-	-
ADB			-	-		-	-
RAPDRP			-	-		-	-
IPDS			-	-		-	-
SAUBHAGYA YOJNA			-	-		-	-
Revamp Scheme			-	-		-	-
Less: Employee Capitalisation							
Less: Interest Capitalization							
Total excluding Interest and employee capitalisation	52.31	119.41	-	-		52.31	119.41
Add: Employee Capitalisation	6.57	6.57	-	-	100%	6.57	6.57
Add: Interest Capitalization			-	-	100%	-	-
Total	58.88	125.98	-	-		58.88	125.98

[Signature]
अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

KESCO

FY 2022-23							
Name of Licensee	Claimed		Normative Grants / Deductions		Normative		
	Investments (Rs. Crore)	Capitalisation (Rs. Crore)	Investments (Rs. Crore)	Capitalisation (Rs. Crore)	% Allowed	Investments	Capitalisation
Scheme wise							
Other Schemes	33.36	84.99	-	-	-	33.36	84.99
RGVY 11th Plan			-	-	-	-	-
DDUGJY			-	-	-	-	-
ADB			-	-	-	-	-
RAPDRP			-	-	-	-	-
IPDS			-	-	-	-	-
SAUBHAGYA YOJNA			-	-	-	-	-
Revamp Scheme	156.20	62.48	-	-	-	156.20	62.48
Less: Employee Capitalisation			-	-	-		
Less: Interest Capitalization			-	-	-		
Total excluding Interest and employee capitalisation	189.56	147.47	-	-	-	189.56	147.47
Add: Employee Capitalisation	6.94	6.94	-	-	100%	6.94	6.94
Add: Interest Capitalization			-	-	100%	-	-
Total	196.50	154.41	-	-	-	196.50	154.41


अधीक्षक अभियन्ता (ला0)
केस्को, कानपुर

2019-20

संख्या-57/2019/785/24-1-18-54/02-टीसी-0-1

प्रचलक

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 12 अप्रैल, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-417/मु०म०प्र०(वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2019-20/374, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि रुपये 3790,00,00,000/- (रुपये तीन हजार सात सौ नव्वे करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक 11 समान मासिक किश्तों में धनराशि रुपये 320,00,00,000/- (रुपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) तथा माह मार्च, 2020 में 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रुपये 270,00,00,000/- (रुपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) में किया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय आप संख्या-1/2019/बी०-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कांषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, प्रपत्र संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में

अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
कंस्कॉ, कानपुर

उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ, विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार बाध्यता होगी।

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-3- पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-117/दर-20 दिनांक 12 अप्रैल, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या- 57/2019/785(1)/24-1-19. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारों) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल केन्द्र, अवन, सेक्टर-एच, अलीगढ़ लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-4/गार्ड फाइल

आज्ञा से.

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में

प्रबन्ध निदेशक,
उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO,
शक्ति भवन, लखनऊ।

रुर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 09 मई, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO के पत्र संख्या-582/मुOमOप्रO(वित्त)/निधि-11/आय-व्ययक/2019-20/374, दिनांक 03 मई, 2019 के सदर में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में प्राविधानित धनराशि रुपये 3790,00,00,000/- (रुपये तीन हजार सात सौ नब्बे करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-57/2019/785/24-1-19-54पी/02 टीOसीO-1, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 320,00,00,000/- (रुपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) की ग्यारह समान किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रुपये 270,00,00,000/- (रुपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 640,00,00,000/- (रुपये छः सौ चालिस करोड़ मात्र) का आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 3150,00,00,000/- (रुपये तीन हजार एक सौ पचास करोड़ मात्र) में से माह मई, 2019 में धनराशि रुपये 260,00,00,000/- (रुपये दो सौ साठ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 2890,00,00,000/- (रुपये दो हजार आठ सौ नब्बे करोड़ मात्र) को माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रुपये 289,00,00,000/- (रुपये दो सौ नवासी करोड़ मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहित अनुमति प्रदान करते हैं।

अधीक्षक अभियन्ता (वाO)
के.स्को. कानपुर

- 3- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अन्वय शर्त मयाबत रहें।
- 4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्वय व्यय-04- कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सप्लाइ" के नामे झाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 173 दिनांक 08 मई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार नि)

अनु सचिव

संख्या-68/2019/972(1)/24-1-19, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हक्दारी) प्रथम, डीप्रो सरोजनी नायडू मार्ग, 211001।
 - 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, डीप्रो सरोजनी नायडू मार्ग, 211001।
 - 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), डीप्रो, छठवां तल, भवन, सेक्टर-एच, अलीराज-नगर।
 - 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
 - 5- वित्त (व्यय-विवरण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गाँव

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार नि)

अनु सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,
उप सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त 2019

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO के पत्र संख्या- 1055 /मुOमOप्रO (वित्त) / निधि-11/ आय-व्ययक /2019-20/374, दिनांक 21 अगस्त, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में प्राविधानित धनराशि रुपये 3790,00,00,000/- (रुपये तीन हजार सात सौ नब्बे करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-57/2019/785/24-1-19-54पी/02 टीसीO-1, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 320,00,00,000/- (रुपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) की ग्यारह समान मासिक किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रुपये 270,00,00,000/- (रुपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 640,00,00,000/- (रुपये छः सौ चातिस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या-68/2019/972/24-1-19-54पी/02टीसीO-1, दिनांक 09 मई, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रुपये 3150,00,00,000/- (रुपये तीन हजार एक सौ पचास करोड़ मात्र) में से माह मई, 2019 में धनराशि रुपये 260,00,00,000/- (रुपये दो सौ साठ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि 2890,00,00,000/- (रुपये दो हजार आठ सौ नब्बे करोड़ मात्र) को माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रुपये 289,00,00,000/- (रुपये दो सौ नवासी करोड़ मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

04

अधीक्षक अधिशासी निदेशक (वित्त)
के.सको, कानपुर

- 2- उपरोक्त न्योक्त धनराशि में से धनराशि रुपये 1767.00.00.000/- (रुपये एक हजार सात सौ सड़सठ करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 2023.00.00.000/- (रुपये दो हजार तेईस करोड़ मात्र) में से माह अगस्त, 2019 हेतु धनराशि रुपये 300.00.00.000/- (रुपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1723.00.00.000/- (रुपये एक हजार सात सौ तेईस करोड़ मात्र) को माह सितम्बर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 245.00.00.000/- (रुपये दो सौ पैतालिस करोड़ मात्र) की 06 समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं सातवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रुपये 253.00.00.000/- (रुपये दो सौ तिरपन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहस्र अनुमति प्रदान करते हैं।
- 3- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अन्य शर्त ब्यापत रहेंगी।
- 4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-दिजली -05-सदरग एच वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सप्लिई" के नामे डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-261/दस-2019, दिनांक 28 अगस्त, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय.

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

संख्या-96(1)/2019/1365(1)/24-1-19, तबदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0 छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- मुख्य कांषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/मार्ड यु.क।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

एक
रूपये
हेतु
वर्ष

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,
उप सचिव,
उपप्रो शासन।

से दो
केशत
मात्र)

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,
उपप्रो पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति
अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या- 1162/मु०म०प्र० (वित्त) / निधि-11/ आय-व्ययक /2019-20/374 दिनांक 12 सितम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में प्राविधानित धनराशि रुपये 3790,00,00,000/- (रुपये तीन हजार सात सौ नब्बे करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-57/2019/785/24-1-19-54पी/02 टी०सी०-1, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 320,00,00,000/- (रुपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) की ग्यारह समान मासिक किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रुपये 270,00,00,000/- (रुपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 640,00,00,000/- (रुपये छः सौ चालिस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या-68/2019/972/24-1-19-54पी/02टी०सी०-1, दिनांक 09 मई, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रुपये 3150,00,00,000/- (रुपये तीन हजार एक सौ पचास करोड़ मात्र) में से माह मई, 2019 में धनराशि रुपये 260,00,00,000/- (रुपये दो सौ साठ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि 2890,00,00,000/- (रुपये दो हजार आठ सौ नब्बे करोड़ मात्र) को माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रुपये 289,00,00,000/- (रुपये दो सौ नवासी करोड़ मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
केस्को, कांनपुर

2- पुनः स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 1767,00,00,000/- (रुपये एक हजार सात सौ सड़सठ करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या- 96/2019/1865/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 28 अगस्त, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रुपये 2023,00,00,000/- (रुपये दो हजार तेईस करोड़ मात्र) में से माह अगस्त, 2019 हेतु धनराशि रुपये 300,00,00,000/- (रुपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1723,00,00,000/- (रुपये एक हजार सात सौ तेईस करोड़ मात्र) को माह सितम्बर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 245,00,00,000/- (रुपये दो सौ पैंतालिस करोड़ मात्र) की 06 समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं सातवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रुपये 253,00,00,000/- (रुपये दो सौ तिरपन्न करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 2312,00,00,000/- (रुपये दो हजार तीन सौ बारह करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1478,00,00,000/- (रुपये एक हजार चार सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) में से माह सितम्बर, 2019 हेतु धनराशि रुपये 300,00,00,000/- (रुपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1178,00,00,000/- (रुपये एक हजार एक सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 195,00,00,000/- (रुपये एक सौ पंचान्नबैं करोड़ मात्र) की पाँच समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं छठवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रुपये 203,00,00,000/- (रुपये दो सौ तीन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

4- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

5- इस संबंध में होने वाला ध्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उपग्रह पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 275 /दस-2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, काणपुर

संख्या- 106 /2019/2010(1)/24-1-19, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नागडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नागडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

प्रेषक:

अहावीर प्रसाद जीतम,

उप सचिव,

उपरो शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उपरो पावर कारपोरेशन लि०,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 09 अक्टूबर 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या- 1290/ अधि०लि० (वित्त) /निधि-11/ आश-व्ययक/ 2019-20/374, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में प्राविधानित धनराशि रुपये 3790.00,00,000/- (रुपये तीन हजार सात सौ नव्वे करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-57/2019/785/24-1-19-54पी/02 टीसी०-1, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 320.00,00,000/- (रुपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) की ग्यारह समान मासिक किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रुपये 240.00,00,000/- (रुपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 300.00,00,000/- (रुपये छः सौ चालिस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या-68/2019/972/24-1-19-54पी/02टीसी०-1, दिनांक 09 मई, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रुपये 3150.00,00,000/- (रुपये तीन हजार एक सौ पचास करोड़ मात्र) में से वर्ष 2019 में धनराशि रुपये 260.00,00,000/- (रुपये दो सौ साठ करोड़ मात्र) तथा उपरान्त अवशेष धनराशि 2890.00,00,000/- (रुपये दो हजार आठ सौ नव्वे करोड़ मात्र) माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रुपये 289.00,00,000/- (रुपये दो सौ नव्वे करोड़ मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

2- पुनः स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 1767.00.00.000/- (रुपये एक हजार सात सौ सड़सठ करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या- 96/2019/1365/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 23 अगस्त, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रुपये 2023.00.00.000/- (रुपये दो हजार तेईस करोड़ मात्र) में से माह अगस्त, 2019 हेतु धनराशि रुपये 300.00.00.000/- (रुपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1723.00.00.000/- (रुपये एक हजार सात सौ तेईस करोड़ मात्र) को माह सितम्बर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 245.00.00.000/- (रुपये दो सौ पैंतालिस करोड़ मात्र) की 06 समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं सातवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रुपये 253.00.00.000/- (रुपये दो सौ तिरपन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः शासनादेश संख्या- 106/2019/2010/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 16 सितम्बर, 2019 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 2312.00.00.000/- (रुपये दो हजार तीन सौ बारह करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1478.00.00.000/- (रुपये एक हजार चार सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) में से माह सितम्बर, 2019 हेतु धनराशि रुपये 300.00.00.000/- (रुपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1178.00.00.000/- (रुपये एक हजार एक सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 195.00.00.000/- (रुपये एक सौ पंचान्नबैं करोड़ मात्र) की पाँच समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं छठवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रुपये 203.00.00.000/- (रुपये दो सौ तीन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 2807.00.00.000/- (रुपये दो हजार आठ सौ सात करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अब अवशेष धनराशि रुपये 983.00.00.000/- (रुपये नौ सौ तिरासी करोड़ मात्र) में से दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 तक धनराशि रुपये 250.00.00.000/- (रुपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) एवं दिनांक 22 या 23 अक्टूबर, 2019 तक धनराशि रुपये 200.00.00.000/- (रुपये दो सौ करोड़ मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रुपये 450.00.00.000/- (रुपये चार सौ पचास करोड़ मात्र) माह अक्टूबर, 2019 में आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 533.00.00.000/- (रुपये पाँच सौ तेँतीस करोड़ मात्र) को माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2019 में धनराशि रुपये 175.00.00.000/- (रुपये एक सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) की दो समान समान मासिक किश्तों में तथा अवशेष धनराशि रुपये 183.00.00.000/- (रुपये एक सौ तिरासी करोड़

मात्र) को माह जनवरी 2020 में तृतीय किस्त के रूप में आहरित किये जाने की ओर राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

4- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल 2019 की अन्वय शक्ति बहाल रहेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-विजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्वय व्यय-04- उपग्रह चार कारपोरेशन लि० की क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सर्विसी" के तामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 285 दिस-2019 दिनांक 09 अक्टूबर 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

संख्या- 112 /2019/2160(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उपग्रह सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उपग्रह सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उपग्रह छठवा तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (न.)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,

उप सचिव,

उOप्रO शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 21 नवम्बर 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO के पत्र संख्या- 1443/ अधिOनिO(वित्त)/ निधि-11/आब-व्ययक/ 2019-20/374, दिनांक 14 नवम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में प्राविधानित धनराशि रुपये 3790,00,00,000/- (रुपये तीन हजार सात सौ नब्बे करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-57/2019/785/24-1-19-54पी/02 टीOसीO-1, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 320,00,00,000/- (रुपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) की ग्यारह समान मासिक किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रुपये 270,00,00,000/- (रुपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 640,00,00,000/- (रुपये छः सौ चालिस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या-68/2019/972/24-1-19-54पी/02टीOसीO-1, दिनांक 09 मई, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रुपये 3150,00,00,000/- (रुपये तीन हजार एक सौ पचास करोड़ मात्र) में से माह मई, 2019 में धनराशि रुपये 260,00,00,000/- (रुपये दो सौ साठ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि 2890,00,00,000/- (रुपये दो हजार आठ सौ नब्बे करोड़ मात्र) को माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रुपये 289,00,00,000/- (रुपये दो सौ नवासी करोड़ मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

अधीक्षक अभियन्ता (वाO)
केस्को, कानपुर

2- पुनः स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 1767,00,00,000/- (रुपये एक हजार सात सौ सड़सठ करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या- 96/2019/1865/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 28 अगस्त, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रुपये 2023,00,00,000/- (रुपये दो हजार तेईस करोड़ मात्र) में से माह अगस्त, 2019 हेतु धनराशि रुपये 300,00,00,000/- (रुपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1723,00,00,000/- (रुपये एक हजार सात सौ तेईस करोड़ मात्र) को माह सितम्बर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 245,00,00,000/- (रुपये दो सौ पैंतालिस करोड़ मात्र) की 06 समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं सातवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रुपये 253,00,00,000/- (रुपये दो सौ तिरपन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः शासनादेश संख्या- 106/2019/2010/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 16 सितम्बर, 2019 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 2312,00,00,000/- (रुपये दो हजार तीन सौ बारह करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1478,00,00,000/- (रुपये एक हजार चार सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) में से माह सितम्बर, 2019 हेतु धनराशि रुपये 300,00,00,000/- (रुपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1178,00,00,000/- (रुपये एक हजार एक सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 195,00,00,000/- (रुपये एक सौ पंचान्नबैं करोड़ मात्र) की पाँच समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं छठवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रुपये 203,00,00,000/- (रुपये दो सौ तीन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः शासनादेश संख्या- 112/2019/2160/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 2807,00,00,000/- (रुपये दो हजार आठ सौ सात करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अब अवशेष धनराशि रुपये 983,00,00,000/- (रुपये नौ सौ तिरासी करोड़ मात्र) में से दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 तक धनराशि रुपये 250,00,00,000/- (रुपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) एवं दिनांक 22 या 23 अक्टूबर, 2019 तक धनराशि रुपये 200,00,00,000/- (रुपये दो सौ करोड़ मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रुपये 450,00,00,000/- (रुपये चार सौ पचास करोड़ मात्र) माह अक्टूबर, 2019 में आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 533,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ तेँतीस करोड़ मात्र) को माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2019 में धनराशि रुपये 175,00,00,000/- (रुपये एक सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) की दो समान समान मासिक किश्तों में तथा अवशेष धनराशि रुपये 183,00,00,000/- (रुपये एक सौ तिरासी करोड़ मात्र) को माह

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केस्को, कापपुर

जनवरी, 2020 में तृतीय क्रिस्त के रूप में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान की गयी थी।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 3432,00,00,000/- (रुपये तीन हजार चार सौ बत्तीस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अब अवशेष धनराशि रुपये 358,00,00,000/- (रुपये तीन सौ अठ्ठावन करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 200,00,00,000/- (रुपये दो सौ करोड़ मात्र) को माह नवम्बर, 2019 में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

4- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान सख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सख्या-ई-10- 312 /दस-2019, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

संख्या-127/2019/2370(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/मई बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (पाठ)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक ०५ दिसम्बर, 2019

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-1492/ अधि०नि०(वित्त)/ निधि-11/आय-व्ययक/ 2019-20/374, दिनांक 25 नवम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में प्राविधानित धनराशि रुपये 3790,00,00,000/- (रुपये तीन हजार सात सौ नब्बे करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-57/2019/785/24-1-19-54पी/02 टी०सी०-1, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 320,00,00,000/- (रुपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) की ग्यारह समान मासिक किस्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किस्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रुपये 270,00,00,000/- (रुपये दो सौ सत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 640,00,00,000/- (रुपये छः सौ चालिस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या-68/2019/972/24-1-19-54पी/02टी०सी०-1, दिनांक 09 मई, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रुपये 3150,00,00,000/- (रुपये तीन हजार एक सौ पचास करोड़ मात्र) में से माह मई, 2019 में धनराशि रुपये 260,00,00,000/- (रुपये दो सौ साठ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि 2890,00,00,000/- (रुपये दो हजार आठ सौ नब्बे करोड़ मात्र) को माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रुपये 289,00,00,000/- (रुपये दो सौ नयासी करोड़ मात्र) की दस समान मासिक किस्तों में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।




अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
केस्को, कापनपुर

2- पुनः स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 1767,00,00,000/- (रुपये एक हजार सात सौ सड़सठ करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या- 96/2019/1865/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 28 अगस्त, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रुपये 2023,00,00,000/- (रुपये दो हजार तेईस करोड़ मात्र) में से माह अगस्त, 2019 हेतु धनराशि रुपये 300,00,00,000/- (रुपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1723,00,00,000/- (रुपये एक हजार सात सौ तेईस करोड़ मात्र) को माह सितम्बर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 245,00,00,000/- (रुपये दो सौ पैतालिस करोड़ मात्र) की 06 समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं सातवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रुपये 253,00,00,000/- (रुपये दो सौ तिरपन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः शासनादेश संख्या- 106/2019/2010/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 16 सितम्बर, 2019 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 2312,00,00,000/- (रुपये दो हजार तीन सौ बारह करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1478,00,00,000/- (रुपये एक हजार चार सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) में से माह सितम्बर, 2019 हेतु धनराशि रुपये 300,00,00,000/- (रुपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 1178,00,00,000/- (रुपये एक हजार एक सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 195,00,00,000/- (रुपये एक सौ पंचान्नबैं करोड़ मात्र) की पाँच समान मासिक किश्तों में तथा अन्तिम एवं छठवीं किश्त माह मार्च, 2020 हेतु धनराशि रुपये 203,00,00,000/- (रुपये दो सौ तीन करोड़ मात्र) आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः शासनादेश संख्या- 112/2019/2160/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 2807,00,00,000/- (रुपये दो हजार आठ सौ सात करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अब अवशेष धनराशि रुपये 983,00,00,000/- (रुपये नौ सौ तिरासी करोड़ मात्र) में से दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 तक धनराशि रुपये 250,00,00,000/- (रुपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) एवं दिनांक 22 या 23 अक्टूबर, 2019 तक धनराशि रुपये 200,00,00,000/- (रुपये दो सौ करोड़ मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रुपये 450,00,00,000/- (रुपये चार सौ पचास करोड़ मात्र) माह अक्टूबर, 2019 में आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 533,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ तैंतीस करोड़ मात्र) को माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2019 में धनराशि रुपये 175,00,00,000/- (रुपये एक सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) की दो समान समान मासिक किश्तों में तथा अवशेष धनराशि रुपये 183,00,00,000/- (रुपये एक सौ तिरासी करोड़ मात्र) को माह

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केरको, कानपुर

जनवरी, 2020 में तृतीय किश्त के रूप में आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः शासनादेश संख्या- 127/2019/2370/24-1-19-54 पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से 3432,00,00,000/- (रुपये तीन हजार चार सौ बत्तीस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 358,00,00,000/- (रुपये तीन सौ अठ्ठावन करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 200,00,00,000/- (रुपये दो सौ करोड़ मात्र) माह नवम्बर, 2019 में आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 3632,00,00,000/- (रुपये तीन हजार छः सौ बत्तीस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अब अवशेष धनराशि रुपये 158,00,00,000/- (रुपये एक सौ अठ्ठावन करोड़ मात्र) को माह दिसम्बर, 2019 में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

4- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अन्य शर्तें संभावित रहेंगी।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के तहत डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-ई-10- 322 /दस-2019, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

संख्या-133/2019/2474(1)/24-1-19. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नाथू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नाथू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,
उप सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 04 फरवरी 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO के पत्र संख्या-74/अधिOनिO (वित्त) /निधि-11/ आय-व्ययक/2019-20/374, दिनांक 13 जनवरी, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में द्वितीय अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 1000.00.00.000/- (रुपये एक हजार करोड़ मात्र) के सोपक्ष अवशेष धनराशि रुपये 500.00.00.000/- (रुपये पांच सौ करोड़ मात्र) में से माह फरवरी, 2020 में धनराशि रुपये 250.00.00.000/- (रुपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) को आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

अधीक्षक अभियन्ता (वाO)
केस्को, कानपुर

- 5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।
- 6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-09/दस-2020, दिनांक 01/2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

संख्या- 11 /2020/(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नाथडू मार्ग, प्रयाग-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नाथडू मार्ग, प्रयाग-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवा तल, केन्द्रीय सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से.

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

संख्या : दिनांक 26 फरवरी, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-231/अधि०नि० (वित्त) /निधि-11/ आय-ध्ययक/2019-20/374, दिनांक 14 फरवरी, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद्द में अनुदान संख्या-9 में द्वितीय अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 1000,00,00,000/- (रुपये एक हजार करोड़ मात्र) के सोपक्ष अवशेष धनराशि रुपये 250,00,00,000/- (रुपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) को माह फरवरी, 2020 में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
केसको, काणपुर

- 5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के लेख "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- डीप्रो पावर कारपोरेशन क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।
- 6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 30 /दस दिनांक 26 फरवरी, 2020 में प्राप्त उसकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

संख्या- 16 /2020/388(1)/24-1-2020, तबदिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, डीप्रो सरोजनी नाथू मार्ग, प्रयागराज 211001।
 - 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, डीप्रो सरोजनी नाथू मार्ग, प्रयागराज 211001।
 - 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), डीप्रो, छठवां तल, केन्द्रीय मन्त्रालय, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
 - 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
 - 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 12 अप्रैल, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-418/मु०म०प्र०(वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2019-20/374, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-83 के बजट में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के लिए क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि रुपये 1010,00,00,000/- (रुपये एक हजार दस करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक 11 समान मासिक किश्तों में धनराशि रुपये 80,00,00,000/- (रुपये अस्सी करोड़ मात्र) तथा माह मार्च, 2020 में 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रुपये 130,00,00,000/- (रुपये एक सौ तीस करोड़ मात्र) में किया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2019/बी०-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में

उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उओप्रओ पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-उओप्रओ पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-118/दस-2019, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-58/2019/784(1)/24-1-19. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उओप्रओ शासन।
- 2- समाज कल्याण विभाग (कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ), उओप्रओ शासन।
- 3- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उओप्रओ सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 4- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उओप्रओ सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 5- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उओप्रओ, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
केस्को, काणपुर

प्रेषक:

आनन्द कुमार बिषाडी,
अनु सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,
उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO,
शक्ति भवन, लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक 03 मई, 2019

ऊर्जा अनुभाग-1

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO के पत्र संख्या-583/मुOअOप्रO(वित्त)/निधि-11/आय-व्ययक/2019-20/374, दिनांक 03 मई, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि रुपये 1010,00,00,000/- (रुपये एक हजार दस करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-58/2019/784/24-1-19-784(बजट)/2019, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माइ अप्रैल, 2019 से माइ फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 80,00,00,000/- (रुपये अस्सी करोड़ मात्र) को ग्यारह समान मासिक किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माइ मार्च, 2020 में धनराशि रुपये 130,00,00,000/- (रुपये एक सौ तीस करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से माइ अप्रैल, एवं मई, 2019 में धनराशि रुपये 160,00,00,000/- (रुपये एक सौ साठ करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 850,00,00,000/- (रुपये आठ सौ पचास करोड़ मात्र) में से माइ मई, 2019 में धनराशि रुपये 75,00,00,000/- (रुपये पचाहत्तर करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 775,00,00,000/- (रुपये सात सौ पचाहत्तर करोड़ मात्र) को माइ जून, 2019 से माइ मार्च, 2020 तक धनराशि रुपये 77,50,00,000/- (रुपये त्रिहत्तर करोड़ पचास लाख मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करने हैं।

अधीक्षक अभियन्ता (वाO)
केस्को, कानपुर

- 3- उपरोक्त आदेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 को अन्तर्गत धारा 25 के अन्तर्गत रहेगा।
- 4- इस संबंध में होने वाला अन्य वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुमान संख्या-लेखापरीक्षा "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-783-अनुत्प्रेषित जाति" विशेष घटक योजना- 03- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का प्रतिनिधि अनुसंधान" के नामे डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 174 / 2019 दिनांक 08 मई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार विपाट)
अनु सचिव।

संख्या- 69 /2019/973(1)/24-1-19, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवगत करवा दी हेतु प्रेषित:-
- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।
 - 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारों) प्रथम, 30प्र0 सराजनी नायडू मार्ग, प्रयाग 211001।
 - 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 सराजनी नायडू मार्ग, प्रयाग 211001।
 - 4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, उद्योग तल के भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
 - 5- मुख्य केषाधिकारी, लखनऊ।
 - 6- समाज कल्याण विभाग (कल्याण नियोजन प्रकाश) 30प्र0 शासन।
 - 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/आई डी आर से

(आनन्द कुमार विपाट)
अनु सचिव।

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,
उप सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,
उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO के पत्र संख्या- 1143/ मुOमOप्रO (वित्त) /निधि- 11/ आय-व्ययक/ 2019-20/ 374, दिनांक 03 सितम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि रुपये 1010,00,00,000/- (रुपये एक हजार दस करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या- 58/2019/784/24-1-19-784(बजट)/2019, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रुपये 80,00,00,000/- (रुपये अस्सी करोड़ मात्र) की ग्यारह समान मासिक किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रुपये 130,00,00,000/- (रुपये एक सौ तीस करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः स्वीकृत धनराशि में से माह अप्रैल, एवं मई, 2019 में धनराशि रुपये 160,00,00,000/- (रुपये एक सौ साठ करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या-69/2019/973/24-1-19-784(बजट)/2019, दिनांक 09 मई, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रुपये 850,00,00,000/- (रुपये आठ सौ पचास करोड़ मात्र) में से माह मई, 2019 में धनराशि रुपये 75,00,00,000/- (रुपये पचहत्तर करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 775,00,00,000/- (रुपये सात सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) को माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रुपये 77,50,00,000/- (रुपये सतहत्तर करोड़ पचास लाख मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

71

अधीक्षक अभियन्ता (वाO)
केस्को, कानपुर

2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रुपये 545,00,00,000/- (रुपये पांच सौ पैंतालिस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रुपये 465,00,00,000/- (रुपये चार सौ पैंसठ करोड़ मात्र) में से माह सितम्बर, 2019 में धनराशि रुपये 300,00,00,000/- (रुपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा अवशेष धनराशि रुपये 165,00,00,000/- (रुपये एक सौ पैंसठ करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2019 से माह दिसम्बर, 2019 तक धनराशि रुपये 55,00,00,000/- (रुपये पचापन करोड़ मात्र) की तीन समान मासिक किश्तों में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अन्वय शर्तें यथावत रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 03- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान-27- सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 274 /दस-2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भयदीय,
(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

संख्या-107/2019/2011(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 2- समाज कल्याण विभाग (कल्याण प्रकोष्ठ) 30प्र0 शासन।
- 3- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगज लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 6- समाज कल्याण विभाग (कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ) 30प्र0 शासन।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

महोदय प्रसाद गौतम,

उप सचिव,

30प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 13 जुलाई, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत कर भुगतान की गयी धनराशि के विरुद्ध समायोजन द्वारा राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-857/अधि0नि0(वित्त)/विप्र-2/विद्युत कर/345/2017, दिनांक 06 जुलाई, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वित्तीय वर्ष 2019-20 में विद्युत कर कसूली के विरुद्ध समायोजन हेतु क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि रुपये 3120.00.00.000/- (रुपये तीन हजार एक सौ बीस करोड़ मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि रुपये 350.00.00.000/- (रुपये तीन सौ पचास करोड़ मात्र) की आठ समान मासिक किश्तों माह जुलाई, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक तथा धनराशि रुपये 320.00.00.000/- (रुपये तीन सौ बीस करोड़ मात्र) माह मार्च, 2020 में अन्तिम किश्त के रूप में पुस्तक समायोजन द्वारा किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी।

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

- 5- इस शासनआदेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वि. 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "280 विजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-10- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 विद्युत कर की भुगतान की गयी धनराशि के विरुद्ध राजस्व अतिपूर्ति अनुदान-सर्विसी" के नामे डाला जायेगा तथा यह भुगतान पुस्तक सनायोजन द्वारा लेखाशीर्षक "0043-विद्युत कर तथा शुल्क-101-विद्युत के उपभोग और विक्री पर 01-विद्युत के उपभोग और विक्री पर कर" के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।
- 7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 230 /दस-20 दिनांक 26 जुलाई 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,


(महादेव प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

संख्या- 90 /2019/1450(1)/24-1-19. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, उडवा तल भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
- 6- गार्ड युक्त।

आज्ञा से,


(महादेव प्रसाद गौतम)
उप सचिव।


अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

संख्या-22/2019/1263/12-2-2019-बजट-3/2010

प्रेषक,

उमा कान्त पाठक,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 27 मई, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत नियम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में त्रैमासिक आधार पर रुपये 30000 लाख के एक मुश्त अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अग्नि0/71/लेखा-निजी नल0/2019-20 दिनांक 16 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत नियम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड़ मात्र) में से प्रथम त्रैमास हेतु रु0 30000.00 लाख (रूपए तीन सौ करोड़ मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपए 30000.00 लाख की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त अगले त्रैमास हेतु उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को उपलब्ध कराई जाएगी। सामान्य निर्वाचन, 2019 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप

अधीक्षक अभियन्ता (वा.)
केस्को, कानपुर

से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी मलकूपाँ को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर जाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 52/2019/1263(1)/12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानेखाकार (लेखा एवं इकाईयारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महानेखाकार (सिविल/ऑडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का प्रत्येक माह उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने के उपरान्त द्वितीय किशन की धनराशि प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करे।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

3
(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (वाठ)
केस्को, कानपुर

संख्या: 12019/2067/12-2-2019-बजट.3/2010

प्रेषक,

उमा कान्त पाठक,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 27 जुलाई, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में त्रैमासिक आधार पर रुपये 30000 लाख के एक मुश्त अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अमि0/470/लेखा-निजी नल0/2019-20 दिनांक 12 जुलाई, 2019 तथा शासनादेश संख्या:22/2019/1263/12-2-2019-बजट.3/2010 दिनांक 27 मई, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपर 120000.00 लाख (रुपय बारह सौ करोड मात्र) में से द्वितीय त्रैमास हेतु रूपर 30000.00 लाख (रुपय तीन सौ करोड मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपर 30000.00 लाख की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त अगले त्रैमास हेतु उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को उपलब्ध कराई जाएगी।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश



अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोवाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलैटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसल-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामों डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश विस्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय जाप संख्या: 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(उमा कान्त पाठक)

संयुक्त सचिव।

संख्या: 12019/20671/12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का प्रत्येक माह उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने के उपरान्त तृतीय किस्त की धनराशि प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)

संयुक्त सचिव।

अधीक्षक अभियन्ता (वाठ)
केस्को, कानपुर

संख्या: 35/2019/2728/12-2-2019-बजट-3/2010

प्रेषक,

जे० पी० सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 20 सितम्बर, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यान्नों की फसल-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में त्रैमासिक आधार पर रुपये 200.00 करोड़ के एक मुश्त अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अमि०/१२०/लेखा-निजी नल०/2019-20 दिनांक 18 सितम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-अग्रयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसल-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रुपये 120000.00 लाख (रुपये बारह सौ करोड़ मात्र) में से तृतीय तृतीय किस्त की धनराशि रु० 200.00 करोड़ (रुपये दो अरब मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रुपये 200.00 करोड़ की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त शेष धनराशि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को उपलब्ध कराई जायेगी।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान वित्तस्थिति के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने से उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेन्शियल प्रोपर्टी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनदेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनदेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (फ्लोटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्न की फसल-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनास्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामों डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय जाप संख्या: 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(जे0 पी0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या: 35/2019/2728 (1) /12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महामन्त्राकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महामन्त्राकार (सिविल/आर्किट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अधीक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वयंसेवक की जा रही धनराशि का प्रत्येक माह उपयोजिता प्रमाण-पत्र कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने के उपरान्त शेष धनराशि रुपये 100.00 करोड़ की धनराशि प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आम्ह से,

(जे0 पी0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

संख्या/११/२०१९/२८३४-१२-२-२०१९-बजट-३/२०१०

प्रेषक,

जे० पी० सिंह,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-२

लखनऊ, दिनांक २२ अक्टूबर, २०१९

विषय: वित्तीय वर्ष २०१९-२० में अनुदान संख्या-११ के लेखाशीर्षक २४०१-फसल कृषि कर्म १०२-खादयन्त्रों की फसल-०५-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी मलकूतों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-२७-सब्सिडी में वैसासिक आधार पर रुपये १००.०० करोड़ के एक मुश्त अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: ३५/२०१९/२७२४/१२-२-२०१९-बजट-३/२०१० दिनांक २० सितम्बर, २०१९ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-११ के लेखाशीर्षक २४०१-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-१०२-खादयन्त्रों की फसल-०५-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी मलकूतों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-२७-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१९-२० के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपर १२००००.०० लाख (रुपर बाएह सौ करोड मात्र) में से तृतीय किश्त की शेष धनराशि रु० १००.०० करोड (रुपर एक अरब मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपर १००.०० करोड की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त शेष धनराशि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को उपलब्ध कराई जाएगी।

२. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

३. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अग्रिम प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

४. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-१२ में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेसन (एसाइमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चारू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसले-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नसकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामों द्वारा जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर जारी जायेगा।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय में संख्या: 1/2019/सी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 में विहित व्यवस्था अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित किया है।

भवदीय,

(ओ० पी० सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 1/2019/सी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनायुक्त आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजित-

1. महानिरीक्षक (लेखा एवं हकदारों)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महासंसाधक (सिडिम/आडिट)-प्रथम/द्वितीय प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ स्वीकृत की जा रही धनराशि का प्रत्येक माह उपयुक्त प्रमाणपत्र कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को भेजने के उपरान्त अवशेष धनराशि प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वजेट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/निर्वाहक अनुभाग-3 गाँव फाईल।
- 8.

आज्ञा

(ओ० पी० सिंह)
विशेष सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
कंस्को, कानपुर

प्रेषक,

मासूम अली सरवर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 16 दिसम्बर, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यान्नों की फसल-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में त्रैमासिक आधार पर रुपये 100.00 करोड़ के एक मुश्त अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 35/2019/2728/12-2-2019-बजट.3/2010 दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसल-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रुपये 120000.00 लाख (रुपए बारह सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष माह नवम्बर, 2019 से जनवरी, 2020 तक की अवधि में रुपये 300.00 करोड़ में से रु0 100.00 करोड़ (रुपए एक अरब मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रुपये 100.00 करोड़ की धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त शेष धनराशि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को उपलब्ध कराई जाएगी।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी वृत्त में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में नित्यव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में नित्यव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपर्टी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

प्रेषक,

मासूम अली सरवर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक: 17 जनवरी, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यान्नों की फसल-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में त्रैमासिक आधार पर रुपये 200.00 करोड़ के एक मुश्त अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 61/2019/3520/12-2-2019-बजट.3/2010 दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजन-102-खाद्यान्नों की फसल-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपर 120000.00 लाख (रुपए बारह सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु0 200.00 करोड़ (रुपए दो अरब मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपर्टी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की

अधीक्षण अभियन्ता (दा0)
केस्को, कानपुर

स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसल-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनास्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयाँ के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या:-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(मासूम अली सरवर)

विशेष सचिव।

संख्या: 1/2020/ 138 (1) /12-2-2020 तद्विज्ञांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
 4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का प्रत्येक माह उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
 8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मासूम अली सरवर)

विशेष सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (पा0)
केरको, कानपुर

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN: U32201UP198956C024928

शक्ति भवन, 14-अराफ मार्ग, लखनऊ-226 001

सं: /अधिनियम/निधि-11/सामान्य विधि/319/भाग-2

दिनांक: 22 अप्रैल, 2022

मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (वाणिज्य),

उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०,

शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय :- प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों से सम्बन्धित मा० राज्य विद्युत नियामक आयोग में प्रस्तुत एआरआर याचिका के सन्दर्भ में टैरिफ समिती की सूचना एवं आदेश उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (आरएएयू), उपग्रो पावर लि० के पत्र संख्या 128/आरएएयू/एआरआर 2022-23 दिनांक 02.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों से सम्बन्धित मा० राज्य विद्युत नियामक आयोग में प्रस्तुत एआरआर याचिका के सम्बन्ध में आयोग द्वारा पण्डित सूचना/स्पष्टीकरण अन्तर्गत पित्त इकाई से सम्बन्धित 07 बिन्दुओं में से बिन्दु संख्या 6 में वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 से सम्बन्धित राज्य सरकार से प्राप्त टैरिफ समिती का डिस्कॉमवार विवरण एवं शासन के आदेशों की प्रतियां सक्षम के रूप में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में राज्य सरकार से प्राप्त टैरिफ समिती (नगद राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान, सवायोजन द्वारा जमा विद्युत कर के विरुद्ध अनुदान एवं कृषि विभाग से निजी नसकूपों को आपूर्ति विद्युत हेतु अनुदान) की कुल धनराशि क्रमशः ₹ 7257.3514 करोड़ एवं ₹ 14515.6634 करोड़ के डिस्कॉमवार आवंटन का विवरण एवं सन्दर्भित शासनादेशों की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु उक्त मद में अद्यतन तिथि तक न तो कोई शासनादेश जारी हुआ है और न ही कोई धनराशि प्राप्त हुई है।

अतः उक्त से अवगत होते हुए प्ररन्मत प्रकरण में अपने स्तर से जल्दतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

(प्रो को मुस्ता)
अधिशारी निदेशक (वित्त)

सं: 11 /अधिनियम/निधि-11/सामान्य विधि/319/भाग-2, तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता (आरएएयू), उपग्रो पावर लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उनके पत्र के सन्दर्भ में।

(प्रो को मुस्ता)
अधिशारी निदेशक (वित्त)

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
कंस्को, कानपुर

Detail of Tariff or Revenue Subsidy/ Support received from GoUP in 2020-21 & 2021-22 distributed in DISCOMs (Amount in crore)

Particulars of Total Cost in 2020-21 & 2021-22 distributed in DISCOMs (Amount in crore)										
S. NO.	Head	Financial Year	Total Fund Received/Adjusted against Budget Provision	Allocated to DISCOMs						
				MVVNL	PUVVNL	PVVNL	DVVNL	Total of four Discom	KBSCO	TOTAL
1	Total Tariff or Revenue Subsidy (Including E.D & Agr. Subsidy)	2020-21	72573514000	13450040054	24542538906	21761981443	12818953597	72573514000	0	72573514000
		2021-22	145156634000	17702567702	56951384583	41188267812	29314413903	145156634000	0	145156634000


अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, काठमाडौं

संख्या: ० ३/2020/ 938 /12-2-2020-बजट.3/2010

प्रेषक,

राधेश्याम,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 27-अप्रैल, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खादयन्त्रों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अभि0/01/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2020-21 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खादयन्त्रों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड मात्र) के सापेक्ष रु0 100.00 करोड (रूपए एक अरब मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रुपये 100.00 करोड की धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी निम्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।
5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामों डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय जाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(राधेश्याम)

अनु सचिव।

संख्या: 2/2020/ 938 (1) /12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं इकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)

अनु सचिव।

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केरको, काजपुर

प्रेषक,

राधेश्याम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 29 मई, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म -102-खादयन्त्रों की फसल-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अमि0/38/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2020-21 दिनांक 20 मई, 2020 तथा शासनादेश संख्या: 8/2020/938/12-2-2020-बजट.3/2010 दिनांक 27 अप्रैल, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खादयन्त्रों की फसल-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपर 120000.00 लाख (रूपर बारह सौ करोड मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपर 110000.00 लाख में से माह मई, 2020 हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि रु0 100.00 करोड (रूपर एक अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपर 100.00 करोड की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नह हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दश में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंड आफ फाइनैन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केस्को, काजपुर

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रवेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसल-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय जाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृथक्कित की गयी है।

भवदीय,

(राधेश्याम)

अनु सचिव।

संख्या: 13/2020/983 (1) /12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/ऑडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/निर्वाचन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आशा से,

(राधेश्याम)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अधीक्षण अभियन्ता (पाठ)
केस्को, कानपुर

प्रेषक,

राधेश्याम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 8-8 जुलाई, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खादयन्त्रों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/187/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2020-21 दिनांक 24 जून, 2020 तथा शासनादेश संख्या: 13/2020/983/12-2-2020-बजट-3/2010 दिनांक 29 मई, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खादयन्त्रों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपर 120000.00 लाख (रूपर बारह सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 100000.00 लाख में से माह जून, 2020 हेतु तृतीय किश्त की धनराशि रू0 100.00 करोड़ (रूपर एक अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपये 100.00 करोड़ की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।


अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसल-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।
7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।
8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,


(राधेश्वर)
अनु सचिव।

संख्या: /2020/ (1) /12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(राधेश्वर)
अनु सचिव।

(P) 21/3/2020

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

संख्या: 31/2020/1720/12-2-2020-बजट.3/2010

प्रेषक,

विद्या शंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 04 सितम्बर, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खादयन्त्रों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अमि0/420/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2020-21 दिनांक 28 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या: 19/2020/1200/12-2-2020-बजट.3/2010 दिनांक 28 जुलाई, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खादयन्त्रों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 900000.00 लाख में से माह जुलाई, 2020 हेतु चतुर्थ किश्त की धनराशि रु0 100.00 करोड़ (रूपए एक अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रुपये 100.00 करोड़ की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, काणपुर

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व, यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसल-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामों डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(विद्या शंकर सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या: 31/2020/1720 (1) /12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/ऑडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(डा० राम चन्द्र शुक्ल)

अनु सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

प्रेषक,

विद्या शंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 21 अक्टूबर, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खादयन्त्रों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अमि0/577/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2020-21 दिनांक 21 सितम्बर, 2020 तथा शासनादेश संख्या: 31/2020/1720/12-2-2020-बजट.3/2010 दिनांक 04 सितम्बर, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजन-102-खादयन्त्रों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रुपये 120000.00 लाख (रुपए बारह सौ करोड मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 800000.00 लाख में से माह अगस्त, 2020 एवं सितम्बर, 2020 हेतु पांचवे एवं छठे किश्त की धनराशि रु0 200.00 करोड (रुपए दो अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रुपये 200.00 करोड की धनराशि का माहवार व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र कराया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसल-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(विद्या शंकर सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या: 47/2020/1901(1) /12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3 गार्ड फाईल।
- 8.

(विद्या शंकर सिंह)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

संख्या: 02/2021/2231/12-2-2021-बजट.3/2010

प्रेषक,
राधेश्याम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
कृषि-निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक: 02 जनवरी, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ० प्र० विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि०/1278/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/ 2020-21 दिनांक 19 नवम्बर, 2020 तथा शासनादेश संख्या: 47/2020/1901/12-2-2020-बजट.3/2010 दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 (सपठित शुद्धि पत्र संख्या: 2008/12-2-2020-बजट.3/2010 दिनांक 28 अक्टूबर, 2020) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ० प्र० विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के अग्र-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूप 120000.00 लाख (रुपए बारह सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 60000.00 लाख में से माह अक्टूबर, 2020 एवं नवम्बर, 2020 हेतु सातवें एवं आठवें किश्त की धनराशि रु० 200.00 करोड़ (रुपए दो अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रुपये 200.00 करोड़ की धनराशि का माहवार व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
केस्को, काणपुर

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(राधेश्याम)

उप सचिव।

संख्या:02/2021/2231(1) /12-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/ऑडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3 गार्ड फाईल।
- 8.

आज्ञा से,

(राधेश्याम)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanaadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

प्रेषक,

राधेश्याम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 29 जनवरी, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्र0 विद्युत निगम की अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अमि0/2028/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2020-21 दिनांक 22 जनवरी, 2021 तथा शासनादेश संख्या 02/2021/2231/12-2-2021-बजट.3/2010 दिनांक 02 जनवरी 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्र0 विद्युत निगम की अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय में प्राविधानित धनराशि रूप 120000.00 लाख (रुपए बारह सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 40000.00 लाख में से माह दिसम्बर, 2020 एवं जनवरी, 2021 हेतु नवी एवं दसवीं किश्त की धनराशि रु0 200.00 करोड़ (रुपए दो अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपये 200.00 करोड़ की धनराशि का माहवार व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

उत्तर प्रदेश बजट मैन्युअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रवेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी मलकूतों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्रो विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामों डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय शाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(राधेश्याम)

उप सचिव।

संख्या: 06/2021/398(1) /12-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-गार्ड फाईल।
- 8.

आज्ञा से,

(राधेश्याम)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अधीक्षण अनियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

प्रेषक,

राधेश्याम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक: 23 फरवरी, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अभि0/2232/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2020-21 दिनांक 10 फरवरी, 2021 तथा शासनादेश संख्या 06/2021/398/12-2-2021-बजट.3/2010 दिनांक 29 जनवरी 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 20000.00 लाख में से माह फरवरी, 2021 हेतु धनराशि रु0 100.00 करोड़ (रूपए एक अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपये 100.00 करोड़ की धनराशि का संगत शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप सदुपयोग करते हुए माहवार व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा एवं अनुदानित धनराशि से लाभान्वित कृषकों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसल-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय गप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24 मार्च 2020 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(राधेश्याम)

उप सचिव।

संख्या:11/2021/563(1) /12-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasnadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केस्को, कांनपुर

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,

उप सचिव,

उOप्रO शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 07 अप्रैल 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO के पत्र संख्या-421/अधिOनिO (वित्त)/विOप्रO-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 01 अप्रैल, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद्दे में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह अप्रैल 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4

अधीक्षण अभियन्ता (वाO)
केस्को, कापपुर

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 78 /दस-2020, दिनांक 04 अप्रैल 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव

संख्या-40/2020/638(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आशा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,

उप सचिव,

उOप्रO शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 04 मई, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति हेतु आंशिक व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO के पत्र संख्या-493/अधिOनिO (वित्त)/विOप्रO-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 27 अप्रैल, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 4400,00,00,000/- (रुपये चार हजार चार सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह मई 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।




अधीक्षक अभियन्ता (वाO)
केस्को, काजपुर

- 5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।
- 6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-94/दस-2020, दिनांक 04 मई 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

संख्या-52/2020/669(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,

उप सचिव,

उOप्रO शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 01 जून, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO के पत्र संख्या-586/अधिOनिO (वित्त)/विOप्रO-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 26 मई, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 4000,00,00,000/- (रुपये चार हजार करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह जून, 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम रांयह खण्ड 5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7/6

अधीक्षण अभियन्ता (पाO)
केस्को, कानपुर

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 'सब्सिडी' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 106 /दस - 2020, दिनांक 01 जून, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

संख्या- 56 /2020/718(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी नाथू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी नाथू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गाई बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)

उप सचिव।

अधीक्षक अभियन्ता (का0)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उओप्रO शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उओप्रO पावर कारपोरेशन लिO,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 03 जुलाई, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO के पत्र संख्या-766/अधिOनिO (वित्त)/ विOप्रO-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 26 जून, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 3600,00,00,000/- (रुपये तीन हजार छः सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह जुलाई, 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपर्योगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उओप्रO पावर कारपोरेशन लिO द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

अधीक्षक अभियन्ता (वाO)
केस्को, कानपुर

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-विजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उपग्रह पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 136 /दस - 2020, दिनांक 02 जुलाई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मणीन्द्र शर्मा)

संयुक्त सचिव।

संख्या- 64 /2020/863(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उपग्रह, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उपग्रह, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उपग्रह, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)

संयुक्त सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,

संयुक्त सचिव,

उOप्रO शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 01 जुलाई, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO के पत्र संख्या-954/अधिOलिO (वित्त)/ विOप्रO-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 27 जुलाई, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 3200,00,00,000/- (रुपये तीन हजार दो सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह अगस्त, 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

अधीक्षक अभियन्ता (वाO)
केस्को, कानपुर

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उपग्रह यावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 160 /दस - 2020, दिनांक 30 जुलाई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 74 /2020/1007(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उपग्रह, सरोजनी नाथ मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उपग्रह, सरोजनी नाथ मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उपग्रह, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, काजपुर

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 03 सितम्बर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO के पत्र संख्या-1107/अधिOनिO (वित्त)/ विOप्रO-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 26 अगस्त, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के तहत में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 2000,00,00,000/- (रुपये दो हजार करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अब अवशेष धनराशि रुपये 2800,00,00,000/- (रुपये दो हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह सितम्बर, 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्त-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संहिता खंड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्त-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

अधीक्षक अभियन्ता (वाO)
केस्को, कानपुर

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उपग्रह पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 184 /दस - 2020, दिनांक 02 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-80/2020/1165(1)/24-1-2020. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उपग्रह, सरोजनी मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उपग्रह, सरोजनी मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उपग्रह, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10, वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 30 सितम्बर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-1269/अधि०नि० (वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2020-21/194, दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के तहत में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 2400,00,00,000/- (रुपये दो हजार चार सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अब अवशेष धनराशि रुपये 2400,00,00,000/- (रुपये दो हजार चार सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सूक्ष्म प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संहिता खंड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउंचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जावेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 203 /दस - 2020, दिनांक 29 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मणीन्द्र शर्मा)

संयुक्त सचिव।

संख्या- 87 /2020/1289(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी नयिडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी नयिडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठयां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)

संयुक्त सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,

संयुक्त सचिव,

उOप्रO शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 02 नवम्बर 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO के पत्र संख्या-1441/अधिOनिO (वित्त)/विOप्रO-2/आय-व्ययक/2020-21/94, दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति अनुदान के तहत में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 2800,00,00,000/- (रुपये दो हजार आठ सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अब अवशेष धनराशि रुपये 2000,00,00,000/- (रुपये दो हजार करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह नवम्बर, 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तुत-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम माह नवम्बर 2020 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तुत-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

अधीक्षक अभियन्ता (वाO)
केस्को, कानपुर

- 5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सडिसडी" के नामे डाला जायेगा।
- 6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 230 /दस - 2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मणीन्द्र शर्मा)

संयुक्त सचिव।

संख्या-98/2020/1448(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी नगर, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी नगर, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)

संयुक्त सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 24 नवम्बर 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्यय के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या 1665/अधि०नि० (वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 24 नवम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के अर्ध में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 3200,00,00,000/- (रुपये तीन हजार दो सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अब अवशेष धनराशि रुपये 1600,00,00,000/- (रुपये एक हजार छः सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह दिसम्बर, 2020 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 197 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के (अवधारित) "2801-विजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सचिवालय" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-248/दस-2020, दिनांक 27, नवम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मणीन्द्र शर्मा)

संयुक्त सचिव।

संख्या-104/2020/1665(1)/24-1-2020. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी न्याय मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी न्याय मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), 30प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)

संयुक्त सचिव।

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उप्र शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उप्र पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 21 दिसम्बर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-1814/अधि०नि० (वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2020-21/994 टी०सी०, दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 3600,00,00,000/- (रुपये तीन हजार छः सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अब अवशेष धनराशि रुपये 1200,00,00,000/- (रुपये एक हजार दो सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह जनवरी, 2021 के प्रथम सप्ताह में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्ताव 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उप्र पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

- 5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सस्मिडी" के नामे डाला जायेगा।
- 6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 277 /दस - 2020, दिनांक 25 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 119 /2020/1863(1)/24-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी नगर मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी नगर मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) 30प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10 वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-4/गाई बुक।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव।

अधीक्षक अभियन्ता (या0)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उओप्रओ शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उओप्रओ पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 08 फरवरी, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० की क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-180/अधि०नि०(वित्त)/वि०प्रओ-2/आय-व्ययक/2020-21/394 टी०सी०, दिनांक 01 फरवरी, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 800,00,00,000/- (रुपये आठ सौ करोड़ मात्र) में से शासनादेश संख्या-05/2021/61/24-1-21-54पी/02 टी०सी०-1, दिनांक 12 जनवरी, 2021 द्वारा धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को माह जनवरी, 2021 में आहरित कर एन०टी०पी०सी० को भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- उपरोक्त प्रस्तर-1 में शासनादेश दिनांक 12 जनवरी, 2021 द्वारा एन०टी०पी०सी० को भुगतान किये जाने वाली स्वीकृत धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) के शासनादेश को निरस्त करते हुए माह फरवरी, 2021 के प्रथम सप्ताह में धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 जनवरी, 2021 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति की धनराशि के सापेक्ष धनराशि का आहरण नहीं किया गया है।

अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 32 /दस - 2021, दिनांक 05 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-11/2021/264(1)/24-1-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211004।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211004।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी).

अनु सचिव।

अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
केस्को, काजपुर

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 02 मार्च, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO के पत्र संख्या-316/अधिOनिO (वित्त)/ विOप्रO-2/ आय-व्ययक 2020-21/394 टीOसीO, दिनांक 22 फरवरी, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिO की क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 4800,00,00,000/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार हजार चार सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अब अवशेष धनराशि रुपये 400,00,00,000/- (रुपये चार सौ करोड़ मात्र) को मार्च, 2021 के प्रथम सप्ताह में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहित अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उOप्रO पावर कारपोरेशन लिO द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

अधीक्षक अभियन्ता (वाO)
केरको, कानपुर

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक '2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को प्रतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 53 /दस - 2021, दिनांक 02 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-21/2021/468(1)/24-1-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी नगर, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0, सरोजनी नगर, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) 30प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10, वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 30 अप्रैल, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० की क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-607/ अधि०नि० (वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 03 अप्रैल, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० की क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 5400,00,00,000/- (रुपये पाँच हजार चार सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 1000,00,00,000/- (रुपये एक हजार करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जायेंगी और राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अप्रैल, 2021 में धनराशि रुपये 500,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ करोड़ मात्र) एवं माह मई, 2021 के प्रथम सप्ताह में धनराशि रुपये 500,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ करोड़ मात्र) में किया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
केस्को, काणपुर

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-106-दस-2021 2022, दिनांक 29 अप्रैल 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-51/2021/757(1)/24-1-2021. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-निर्वाह) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 24 मई, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-738/ अधि०नि० (वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 06 मई, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 5400,00,00,000/- (रुपये पाँच हजार चार सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 4400,00,00,000/- (रुपये चार हजार चार सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 500,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह जून, 2021 के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

- 5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सदसिडी" के नामे डाला जायेगा।
- 7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 142 -दस-2021 2022, दिनांक 22 मई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-59/2021/822(1)/24-1-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-निर्धारण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 29 जून, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-865/अधि०नि०(वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 14 जून, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 5400,00,00,000/- (रुपये पाँच हजार चार सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 3900,00,00,000/- (रुपये तीन हजार नौ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 500,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह जुलाई, 2021 के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

- 5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सविसिडी" के नामे डाला जायेगा।
- 7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 261 -दस-2021 2022, दिनांक 25 जून, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-72/2021/914(1)/24-1-2021, तबदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नाथडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नाथडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-निर्वाह) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
केस्को, काजपुर

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 05 जुलाई, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-926/अधि०नि०(वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 28 जून, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 5400,00,00,000/- (रुपये पाँच हजार चार सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 3400,00,00,000/- (रुपये तीन हजार चार सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 500,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ करोड़ मात्र) को माह जुलाई, 2021 में स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि आहरित कर भुगतान हेतु केन्द्रीय विद्युत उपकरणों को प्रयोज्यता प्रदान की जाय।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
केस्को, काजपुर

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान-संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सदस्यी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 304-दर-2021 2022, दिनांक 02 जुलाई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या- 79 /2021/986(1)/24-1-2021-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, प्रयागराज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गाई बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 05 अगस्त, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० की क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-926/अधि०नि०(वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 28 जून, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश प्राप्त है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० की क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 5400,00,00,000/- (रुपये पाँच हजार चार सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 2900,00,00,000/- (रुपये दो हजार नौ सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 350,00,00,000/- (रुपये तीन सौ पचास करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अगस्त, 2021 के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि आहरित कर भुगतान हेतु केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों को प्रथमिकता प्रदान की जाय।

4- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या 9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सद्विस्तार" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 527- देय-2021 2022, दिनांक 30 जुलाई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-91/2021/1109(1)/24-1-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं कक्षा) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कीपाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 04 सितम्बर, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-1204/अधि०नि०(वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 21 अगस्त, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 5400,00,00,000/- (रुपये पाँच हजार चार सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 2550,00,00,000/- (रुपये दो हजार पैंसैं सौ पचास करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 350,00,00,000/- (रुपये तीन सौ पचास करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- ऊर्जा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह सितम्बर, 2021 के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 9511-दस-2021 2022, दिनांक 07 सितम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या- 97 /2021/1385(1)/24-1-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदार) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 01 अक्टूबर, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति हेतु आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-1335/अधि०नि०(वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 17 सितम्बर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रुपये 5400,00,00,000/- (रुपये पाँच हजार चार सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 2200,00,00,000/- (रुपये दो हजार दो सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 350,00,00,000/- (रुपये तीन सौ पचास करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अक्टूबर, 2021 के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु 'कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-1330-दस-2021/2022, दिनांक 29 सितम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-101/2021/1499(1)/24-1-2021-तृतीय दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

अधीक्षक अभियन्ता (पा०)
केस्को, कानपुर

प्रेषक,

आनन्द कुमार निपाठी,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 13 अक्टूबर, 20

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के
में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख
1363/अधि0निदे0(वित्त)/एफ-2/विद्युत कर/345/भाग-2 दिनांक 22 सितम्बर, 2021
सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पा
कारपोरेशन लि0 के लिए अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक-2801-बिजली-05-संचरण
वितरण-800-अन्य व्यय-10-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत कर
भुगतान की गयी धनराशि के विरुद्ध राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी में प्राविधा
धनराशि रुपये 4750,00,00,000/- (रुपये चार हजार सात सौ पचास करोड़ मात्र) में से बा
हो रही धनराशि रुपये 2750,00,00,000/- (रुपये दो हजार सात सौ पचास करोड़ मात्र)
लेखाशीर्षक संलग्नक बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरे
लि0 को अनुदान सं0-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अ
व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के हि
स्वीकृत कर आहरित कर व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यप
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तार-1 में स्वीकृति का आहरण माह अक्टूबर, 2021 में धनराशि रूप
750,00,00,000/- (रुपये सात सौ पचास करोड़ मात्र), नवम्बर, 2021 में धनराशि रूप
750,00,00,000/- (रुपये सात सौ पचास करोड़ मात्र), माह दिसम्बर, 2021 में धनरा
रुपये 750,00,00,000/- (रुपये सात सौ पचास करोड़ मात्र), माह जनवरी, 2022 में धनरा
रुपये 200,00,00,000/- (रुपये दो सौ करोड़ मात्र), माह फरवरी, 2022 में धनराशि रूप
200,00,00,000/- (रुपये दो सौ करोड़ मात्र) एवं अन्तिम किस्त के रूप में माह मार्च, 202
में धनराशि रुपये 100,00,00,000/- (रुपये एक सौ करोड़ मात्र) किया जायेगा।

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, कागपुर

3- उपरोक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृति धनराशि का आहरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा:-

- (1) उपरोक्त किशतों का आहरण संबंधित माह की 10वीं तारीख के पूर्व नहीं किया जायेगा।
- (2) जिस मद में धनराशि पुनर्विनियोग की गयी है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष : किसी प्रकार की धनराशि की माँग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।
- (3) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है, उस मद की सम्पूर्ण धनराशि के नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा।
- (4) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० उत्तरदायी होंगे।
- (6) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व निदेशक (वित्त) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० का होगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं समयसमय पर निर्गत- दिशानिर्देशों का पूर्णतया अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० सुनिश्चित किया जाएगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संहिता खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण सच्चा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोजिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग/ समाज कल्याण विभाग को उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।


अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

- 6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मनों में किया जायेगा।
- 7- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800 - अन्य व्यय -04-उत्तर" ५ पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।
- 9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-1554/दस-2021/20 दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(अभिधीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-112/2021/1540(1)/24-1-21. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र० सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र० सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 1100
- 4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल केन्द्रीय भवन सेक्टर-एच, अलीराज लखनऊ।
- 5- मुख्य कौषाधिकारी, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 7- गाइ बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

बॉ0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग के लिए बाबत/स्वीकृत
(सन्दर्भ-बजट अनुदान का प्रसार-158)

अनुदान संख्या-8, ऊर्वा विभाग

वित्तीय वर्ष 2021-22 (धनराशि लाख रुपये में)

सैद्धांतिक प्रश्न	निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा धरा जायेगा	
	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपरबद्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाते वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपरबद्ध अनुदान/विनियोग (2-5)	
1	2	3	4	5	6	
2801 - विजली -05- संवर्ण एवं वितरण -800- अन्य व्यय - 10- 30प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 को सौंपित कर की पुनर्गणना की गयी धनराशि के विन्दु राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान-27-मजिस्ट्री	475000.00	475000.00	275000.00	275000.00	20000.00	
योग-	475000.00	475000.00	275000.00	275000.00	20000.00	

सैद्धांतिक प्रश्न	निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा धरा जायेगा	
	वित्तीय वर्ष के लिए उपरबद्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपरबद्ध अनुदान/विनियोग (8±11)	
7	8	9	10	11	12	
"2801-विजली -05-संवर्ण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- 30प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 को सौंपित अनुदान -27 मजिस्ट्री"	540000.00	815000.00	275000.00	275000.00	815000.00	
योग-	540000.00	815000.00	275000.00	275000.00	815000.00	

[Handwritten Signature]

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध वचन का कारण निम्नानुसार है-

अनराशि समर्पित किये जाने के कारण

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-8 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है-

वर्ष 2021-22 में आरंभ की गयी धनराशि समाप्त हो जाने के कारण

3- प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त पुनर्वित्तियोग में उत्तर प्रदेश बजट

संतुलन के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिधीभावों

का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-88 /ई-10-1554 /वस-2021 2022, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021

सेवा में,

सहाय्योच्चाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

हस्ताक्षर-

नाम व पदनाम- (आनन्द कुमार त्रिपाठी)
प्रशासकीय विभाग-अनुसूचित, ऊर्जा विभाग।

हस्ताक्षर-
नाम व पदनाम- (नीलरतन कुमार)
विशेष सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या-990/24-1-2021-54 (बजट)/2021, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आदम्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।

3- सहाय्योच्चाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल फेन्टीय भवन, मेक्टर-एच, असीर्गज लखनऊ।

4- सहाय्योच्चाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 मन्त्रालय न्याय भवन, प्रयागराज।

5- सहाय्योच्चाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 अंग्रेजी न्याय भवन, प्रयागराज-211001।

6- निदेशक, वित्तीय नाभिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- वित्त (अव-नियंत्रण) अनुभाग-10

8- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)

9- गार्ड फ़ाइल

दृष्टान्त:-

नाम व पदनाम- (आनन्द कुमार त्रिपाठी)
प्रशासकीय विभाग- अनुसूचित, ऊर्जा विभाग।

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केसको, कानपुर

प्रेषक,

आनन्द कुमार बिपाठी,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 29 अक्टूबर, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में स्वीकृत गयी धनराशि को आहरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या 1481/अधि0नि0(वित्त)/एफ-2/विद्युत कर/345/भाग-2, दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अनुदान सं0-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण मद वित्तिय-800-अन्य व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सिबिडी" के शासनादेश संख्या-112/2021/1540/24-1-21 54पी/02 टी0सी0, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से रूप 2750,00,00,000/- (रूपये दो हजार सात सौ पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी। उक्त स्वीकृत धनराशि में से रूप 750,00,00,000/- (रूपये सात सौ पचास करोड़ मात्र) व धनराशि का आहरण किया जा चुका है। अब अवशेष धनराशि रूपये 2000,00,00,000/- (रूपये दो हजार करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2021 में धनराशि रूपये 1000,00,00,000/- (रूपये एक हजार करोड़ करोड़ मात्र) एवं माह नवम्बर, 2021 में धनराशि रूपये 1000,00,00,000/- (रूपये एक हजार करोड़ करोड़ मात्र) की किरत के रूप में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- शासनादेश संख्या-112/2021/1540/2451-21-54पी/02टी0सी0-1 दिनांक 13 अक्टूबर 2021 द्वारा स्वीकृति की गयी धनराशि की शर्तें यथावत रहेंगी।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग/ समाज कल्याण विभाग को उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

- 5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800 - अन्य व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।
- 7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 1708 /दस-2021 2022, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव

संख्या-113/2021/1648(1)/24-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र० सरोजनी नयडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र० सरोजनी नयडू मार्ग, प्रयागराज 110011।
- 4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 5- मुख्य कौषाधिकारी, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान के मय में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-1419/अधि०नि०(वित्त)/निधि-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के लिए अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक-2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-05-उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्रविधानित धनराशि रुपये 6500,00,00,000/- (रुपये छः हजार पाँच सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 1500,00,00,000/- (रुपये एक हजार पाँच सौ करोड़ मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से (संलग्नक बी०एम०-9 के अनुसार) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को अनुदान सं०-9 के लेखाशीर्षक 2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियंत्रण संवत् खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण दया कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, पावर कारपोरेशन लि०/लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग/ समाज कल्याण विभाग को उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मर्दानों में नहीं किया जायेगा।

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केसको, कानपुर

- 5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800 - अन्य व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नाम से डाला जायेगा।
- 7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 1711 /दस-2021 2022, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव

संख्या-114/2021/1596(1)/24-1-21. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजित:-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र० संयोजनी नागडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र० संयोजनी नागडू मार्ग, प्रयागराज 110011।
- 4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ०प्र०, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 7- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

अधीक्षक अभियंता (पा०)
केस्को, कानपुर

बी0एम0-9 (भाग-1)
युनितियोग के लिए आवेदन/स्वीकृत
(सन्दर्भ-बजट संसुल्ल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या-9, ऊर्जा विभाग

वित्तीय वर्ष 2021-22 (मानराशि का रूप में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण					
सेवाशीर्षक सूची	आवेदन पत्र देने के विभागात्मक पर उपलब्ध अनुदान/वित्तियोग	आवेदन-पत्र देने के विभागात्मक पर उपलब्ध वचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/वित्तियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2801 - विजली -05- संचरण एवं वितरण -800- अन्य व्यय - 05- उद्योगों के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की क्षतिपूर्ति - 20- महायता अनुदान- मासिक (गैर वचत)	650000.00	150000.00	150000.00	150000.00	500000.00
योग-	650000.00	150000.00	150000.00	150000.00	500000.00

बेदापीर्क	निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8±11)
7	8	9	10	11	12
"2801-विजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उद्योगों के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की क्षतिपूर्ति -27 मजिरी"	815000.00	985000.00	150000.00	150000.00	965000.00
योग-	815000.00	985000.00	150000.00	150000.00	965000.00

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

- 1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-
घनराशि समर्पित करने के कारण
- 2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-
वर्ष 2021-22 में आवंटित की गयी घनराशि समाप्त हो जाने के कारण
- 3- प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त पुनर्वित्तियोग में उत्तर प्रदेश बजट अनुगत के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमों का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-105 /ई-10-1711 /दस-2021 2022, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रधान,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

हस्ताक्षर-
नाम व पदनाम- (आनन्द कुमार त्रिपाठी)
प्रशासकीय विभाग-अनुसूचिक, ऊर्जा विभाग।

हस्ताक्षर-
नाम व पदनाम- (नीलरत्न कुमार)
विशेष सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या-1592/24-1-2021-54 (बजट)/2021, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

- 1- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, जलीगंज लखनऊ।
- 4- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नाथडू मार्ग, प्रयागराज।
- 5- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नाथडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
- 8- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)।
- 9- माई बुक।

हस्ताक्षर-
नाम व पदनाम- (आनन्द कुमार त्रिपाठी)
प्रशासकीय विभाग-अनुसूचिक, ऊर्जा विभाग।

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केन्द्री, कानपुर

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रगन्ध निदेशक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 03 नवम्बर 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० की क्षतिपूर्ति हेतु
आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-1516/अधि०नि०(वित्त)/वि०प्र०-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 23 अक्टूबर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० की क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में अनुदान संख्या-9 में आय-व्ययक के माध्यम से कुल प्राविधानित धनराशि रुपये 9650,00,00,000/- (रुपये नौ हजार छः सौ पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 1850,00,00,000/- (रुपये एक हजार आठ सौ पचास करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदत्त करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह नवम्बर, 2021 से माह मार्च, 2022 तक धनराशि रुपये 370,00,00,000/- (रुपये तीन सौ सत्तर करोड़ मात्र) की पाँच समान मासिक किश्तों में किया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

- 4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।
- 5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।
- 7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-1886-दस-2021 2022, दिनांक 02 नवम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-115/2021/1670(1)/24-1-2021-तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संयुक्त एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारों) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा शरीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 02 दिसम्बर 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को विद्युत कर वसूली के विरुद्ध समायोजन हेतु क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-1531/अधि०नि०/निधि-1/विद्युत कर/345/भाग-2, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को विद्युत कर की भुगतान की गयी धनराशि के विरुद्ध समायोजन हेतु क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि रुपये 4750,00,00,000/- (रुपये चार हजार सात सौ पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 2000,00,00,000/- (रुपये दो हजार करोड़ मात्र) में से धनराशि रुपये 1050,00,00,000/- (रुपये एक हजार पचास करोड़ मात्र) श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृत करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण पुस्तक समायोजन के द्वारा किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा, तथा यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा संग्रहीत इलेक्ट्रीसिटी इयूटी का सत्यापित विवरण यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

6- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-10- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को विद्युत कर की भुगतान की गयी धनराशि के विरुद्ध राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे झाला जायेगा तथा यह भुगतान पुस्तक समायोजन द्वारा प्राप्त लेखाशीर्षक "0043-विद्युत कर तथा शुल्क-101-विद्युत के उपभोग और बिक्री पर कर-01-विद्युत के उपभोग और बिक्री पर कर" के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-2142/दस-2021 2022, दिनांक 26 नवम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-123/2021/1694(1)/24-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001।
- 3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2

संख्या: 39/2021/1355164/12-2002/4/2021

तखनक: दिनांक: 07 जुलाई, 2021

कार्यालय-आदेश

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रु. 15,00,00.00 लाख की धनराशि सापेक्ष रु. 1,25,00.00 लाख (एक सौ पच्चीस करोड़ रूपए मात्र) की तृतीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि नियमानुसार एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण की जा सकेगी,
 2. संगत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप धनराशि का सदुपयोग करते हुए, माहवार व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा तथा अनुदानित धनराशि से लाभान्वित कृषकों का विवरण विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किया जाएगा,
 3. कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा,
 4. सुनिश्चित किया जाए कि प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं है। स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा,
 5. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए,
 6. धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, व्यय करने के पूर्व, यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाए,
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्षक "2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ० प० विद्युत निगम को अनुदान-27-संक्षिप्त" के नामे डाली जायेगी।
3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग की पत्रावली पर प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।
4. वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में, वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(शत्रुञ्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
केस्को, कापपुर

संख्या: 39/2021/ 1355164/12-2002/4/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूच्यार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि०, लखनऊ,
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: अमि०/143/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2021-22/लखनऊ, दिनांक 22 जून, 2021 के संदर्भ में,
6. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 28 मई, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ० प्र० विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अमि०/13/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2021-22 दिनांक 12 अप्रैल, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ० प्र० विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपर 150000.00 लाख (रूपर पन्द्रह सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष माह अप्रैल, 2021 एवं मई, 2021 हेतु धनराशि रु० 25000.00 लाख (रूपर दो सौ पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृति की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रुपये 25000.00 लाख की धनराशि का संगत शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप सदुपयोग करते हुए माहवार व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा एवं अनुदानित धनराशि से लाभान्वित कृषकों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषांगार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रवेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों के निजी मलकूतों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ० प्र० विद्युत निगम को अनुदान के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय जाए दिनांक 22 मार्च, 2021 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(बृजराज सिंह यादव)

विशेष सचिव।

संख्या:24/2021/1355164(1) /12-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

(बृजराज सिंह यादव)

विशेष सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या:43/2021/1355164/12-2002/4/2021
लखनऊ: दिनांक: 30 जुलाई, 2021

कार्यालय-आदेश

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रु. 15,00,00.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष रु. 1,25,00.00 लाख (एक सौ पच्चीस करोड़ रुपये मात्र) धनराशि की माह जुलाई, 2021 की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा.
 2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय संगत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा.
 3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा.
 4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक/झाकघर में नहीं रखी जाएगी।
 5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करते हुए व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा तथा अनुदानित धनराशि से लाभान्वित कृषकों का विवरण विभागीय वेब-साइट पर अपलोड किया जाएगा.
 6. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रखने का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष '2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान-27-सब्सिडी' के नामे डाली जायेगी।
3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग की पत्रावली पर प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।
4. वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में, वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि०, लखनऊ,
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: अमि०/210/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2021-22/लखनऊ, दिनांक 08 जुलाई, 2021 के संदर्भ में,
6. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुञ्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

अधीक्षण अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-2

संख्या: 69/2021/1355164/12-2002/4/2021

लखनऊ: दिनांक: 12 अक्टूबर, 2021

कार्यालय-आदेश

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रु. 15,00,00.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष तीन किशतों के रूप में रु. 3,75,00,00,000/- (तीन अरब पचहत्तर करोड़ रुपये मात्र) धनराशि की माह अगस्त, 2021 से अक्टूबर, 2021 तक की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा,
 2. स्वीकृत धनराशि का व्यय संगत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा,
 3. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका ब्यावर्तन किया जाएगा,
 4. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।
 5. स्वीकृत धनराशि का व्यय करते हुए व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा तथा अनुदानित धनराशि से लाभान्वित कृषकों का विवरण विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किया जाएगा,
 6. निर्गत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रखने का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष '2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान-27-सब्सिडी' के नामे डाली जायेगी।
3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग की पत्रावली पर प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।
4. वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में, वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(शत्रुञ्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

Page 1 of 2

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

संख्या:69/2021/ 1355164(1)12-2002/4/2021तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि०, लखनऊ,
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: अभि०/470/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2021-22/लखनऊ, दिनांक 09 सितम्बर, 2021 के संदर्भ में,
6. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुञ्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या:86/2021/ 1355164/12-2002/4/2021
लखनऊ: दिनांक: 16 नवम्बर, 2021

कार्यालय-आदेश

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रु. 15,00,00.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु. 6,25,00,00,000/- (छ: अरब पच्चीस करोड़ रुपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा,
 2. स्वीकृत धनराशि का व्यय संगत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा,
 3. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा,
 4. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।
 5. स्वीकृत धनराशि का व्यय करते हुए व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा तथा अनुदानित धनराशि से लाभान्वित कृषकों का विवरण विभागीय वेब-साइट पर अपलोड किया जाएगा,
 6. निर्गत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रखने का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।
 7. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वहन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु 30-प्र0 विद्युत निगम को अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाली जायेगी।
3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग की पचावती पर प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।
4. वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में, वित्त विभाग के कार्यालय आप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(राधेश्याम)
उप सचिव।

संख्या:86/2021/ 1355164(1)12-2002/4/2021तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदार) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि0, लखनऊ,
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: अमि0/924/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2021-22/लखनऊ, दिनांक 02 नवम्बर, 2021 के संदर्भ में,
6. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

प्रेषक;

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 28 दिसम्बर, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1699/अधि0निदे0(वित्त)/एफ-2/विद्युत कर/345/भाग-2, दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश मिला है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-09 के अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के लेखाशीर्षक-2801-बिजली- 05-संचरण एवं वितरण- 800- अन्य व्यय-10-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत कर की भुगतान की गयी धनराशि के विरुद्ध राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रुपये 950,00,00,000/- (रुपये नौ सौ पचास करोड़ मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" में (संलग्नक प्रपत्र बी0एम0-9 के अनुसार) में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर- में स्वीकृत धनराशि का आहरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा:-

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, काणपुर

- (1) जिस मद में धनराशि पुनर्विनियोग किये जा रहे हैं उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय की जायेगी।
- (2) जिस मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत की गयी है उस मद में सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में निदेशक (वित्त) द्वारा किया जायेगा।
- (3) जिस मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत की गयी है इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- (4) जिस मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत की गयी है का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले ऑडिट आपत्ति निदेशक (वित्त) उत्तरदायी होंगे।
- (5) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह दिसम्बर, 2021 में धनराशि रुपये 600,00,00,000/- (रुपये छः सौ करोड़ मात्र) एवं माह जनवरी, 2022 में धनराशि रुपये 350,00,00,000/- (रुपये तीन सौ पचास करोड़ मात्र) के रूप में किया जायेगा।
- (6) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उभलब्ध कराया जायेगा।
- 4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण सक्षम कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकोर, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग/ समाज कल्याण विभाग को उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।
- 5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।
- 6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800 - अन्य व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-3415/दस-2021 2022, दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-129/2021/2009(1)/24-1-21. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 110011।
- 4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं सूचकांक लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
के.को. कानपुर

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-
धनराशि समर्पित किये जाने के कारण

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-
वर्ष 2021-22 में आवंटित की गयी धनराशि समाप्त हो जाने के कारण
प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त पुनर्वित्तियोग में उत्तर प्रदेश बजट

3- अनुबन्ध के प्रसार-150, 151, 154 व 155 में निविष्ट प्रतिबन्ध/परिचीमाओं
का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-वार000-202/10-3412/रस-2021/2022, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

हस्ताक्षर:-

नाम व पदनाम- (आनन्द कुमार त्रिपाठी)

प्रशासकीय विभाग-अनुसन्ध, ऊर्जा विभाग।

हस्ताक्षर:-

नाम व पदनाम- (भीमरत्न कुमार)

विशेष सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या- 1881/24-1-2021-54 (तण्ड/2021, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021)

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

मुख्य/अतिरिक्त कोषाधिकारी, लखनऊ।

महालेखाकार, (आर्थिक एवं गजम्ब लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-गन्ध, अलीगंज लखनऊ।

महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नाथरू मार्ग, प्रयागराज।

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नाथरू मार्ग, प्रयागराज-211001।

निदेशक, वित्तीय मांखिकीय निदेशानय, जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10

वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (दो प्रतिभों में)।

गार्ड बुक।

हस्ताक्षर:-

नाम व पदनाम- (आनन्द कुमार त्रिपाठी)

प्रशासकीय विभाग-अनु सचिव, ऊर्जा विभाग।

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)

केसको, कानपुर

बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्वित्तियोग के लिए आवेदन/स्वीकृत
(सन्दर्भ-नंबर मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या-9, उत्तरा विभाग

वित्तीय वर्ष 2021-22 (अनुदानि लागू रूपरे में)

मेळाशीर्षक पूंजी	निम्नलिखित तिथियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/वित्तियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुयोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/वित्तियोग (2-5)	
	2	3	4	5	6	
2801 - बिजली -05- संभरण एवं वितरण -800- अन्य व्यय - 10- 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत कर की पुनर्गठन की गयी धनराशि के विरुद्ध राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सन्विही	200000.00	95000.00	95000.00	95000.00	105000.00	
योग-	200000.00	95000.00	95000.00	95000.00	105000.00	

सेवावर्षिक	निम्नलिखित तिथियों में प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)		
7	8	9	10	11	12		
72801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800- अन्य व्यय-04- उपग्रह पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान -27 सन्विही	965000.00	1060000.00	95000.00	95000.00	1060000.00		
योग-	965000.00	1060000.00	95000.00	95000.00	1060000.00		

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केसको, कानपुर

रुभाक 'एम्प्ले
(010) 12222222 12222222



उत्तर प्रदेश सरकार

2022-2023 के व्यय

के

ब्यौरेवार अनुमान

कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (कृषि)

(जैसे कि विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये)

मई, 2022


अधीक्षक अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर

5-2

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

(₹ लाख में)

वास्तविक अंकड़े	आय-व्यय अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	लेखा शीर्ष	आय-व्यय अनुमान
2020-2021	2021-2022	2021-2022		2022-2023

2401-फसल कृषि कर्म, 102-खाद्यान्नों की फसलें

05- कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये कृषकों के निजी नल कृषो को विद्युत आपूर्ति हेतु उ.प्र.

विद्युत निगम को अनुदान

120000.00	150000.00	150000.00	27 - सन्सिडी	150000.00
-----------	-----------	-----------	--------------	-----------

89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्य/राज्य

8902- नेशनल फूड सिस्तेमेटिटी मिशन

--	--	--	07 - मानदेय	108.34
--	--	--	27 - सन्सिडी	8669.05
--	--	--	42 - अन्य व्यय	148.13
--	--	--	44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	60.92
--	--	--	58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	252.84
--	--	--	योग : 8902	9239.28
--	--	--	योग : 89	9239.28
132465.01	173748.99	173630.49	योग : 102	173488.67

103- बीज

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101- बीज गुण नियंत्रण सुदृढीकरण योजना (के.100/रा.0-के.)

--	--	--	29 - अनुसंधान	100.00
--	--	--	42 - अन्य व्यय	30.00
--	--	--	44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	6.00
--	--	--	योग : 0101	136.00
--	--	--	योग : 01	136.00

03- प्रयोगात्मक प्रक्षेप प्रदर्शन और बीज बर्तन प्रक्षेप

1170.37	1238.06	985.50	01 - वेतन	1275.20
2230.12	1600.00	1600.00	02 - मजदूरी	1600.00
195.78	371.42	297.14	03 - मंहगाई भत्ता	471.82
3.79	5.00	5.00	04 - यात्रा व्यय	5.00
0.43	1.00	1.00	05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00
0.44	3.00	3.00	06 - अन्य भत्ते	3.00
1.93	3.00	3.00	08 - कार्यालय व्यय	3.00
256.86	200.00	200.00	09 - विद्युत देय	200.00

अधीक्षण अभियन्ता (वा0)
केस्को, कानपुर



उत्तर प्रदेश सरकार

2022-2023 के व्यय

के

ब्यौरेवार अनुमान

ऊर्जा विभाग

(जैसे कि विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये)

मई, 2022


अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर

5-1

ऊर्जा विभाग

(₹ लाख में)

वास्तविक अंकड़े	आय-व्यय अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	लेखा शीर्ष	आय-व्यय अनुमान
2020-2021	2021-2022	2021-2022		2022-2023
2071 - पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ				
01 - सिविल				
200 - अन्य पेंशन				
03- राज्य विद्युत परिषद के विघटन पूर्व कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा नैवृत्तिक सुविधाये				
313362.44	350000.00	350000.00	33 - पेंशन/आनुतोषिक/अन्यसेवानिवृत्ति हितलाभ	370000.00
313362.44	350000.00	350000.00	योग : 200	370000.00
313362.44	350000.00	350000.00	योग : 01	370000.00
313362.44	350000.00	350000.00	योग : 2071	370000.00
2801 - बिजली				
05 - संचरण एवं वितरण				
190 - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य, उपक्रमों को सहायता				
03- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०				
0301- आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. द्वारा पी.एफ.सी. एवं आर.ई.सी. से प्राप्त किये गये रु. 20,940 करोड़ के ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु अनुदान				
--	200000.00	189050.00	20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	200000.00
--	200000.00	189050.00	योग : 190	200000.00
800 - अन्य व्यय				
04- उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. को क्षतिपूर्ति अनुदान				
481735.14	540000.00	675000.00	27 - सन्निधि	1000000.00
05- उद्योग योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फंडिंग				
220000.00	500000.00	650000.00	20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	500000.00
--	--	37250.00	27 - सन्निधि	--
220000.00	500000.00	687250.00	योग : 05	500000.00
06- सरकारी विभागों के दिनांक 31 मार्च, 2022 तक बकाया विद्युत बिलों की अदायगी हेतु उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० को अनुदान				
--	--	--	20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	350000.00
10- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को विद्युत कर की भुगतान की गयी धनराशि के विरुद्ध राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान				
124000.00	475000.00	475000.00	27 - सन्निधि	210000.00

अधीक्षक अभियन्ता (वा०)
केस्को, कानपुर